Title: Discussion regarding loss of lives and property due to floods in various parts of the country. (Concldued).

.

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मुझे प्रसनत्ता है कि सदन में बाढ़ की सम्स्या पर बहस प्रारम्भ करने का अ्वसर मिला है, लेकिन साथ-ही-साथ दुःख भी है कि प्रतिर्वा लग्भग इस सदन में और दूसरे सदन में भी बाढ़ की सम्स्या पर चर्चा होती है, बाढ़ की सम्स्या से निपटने पर चर्चा होती है, लेकिन जो सार्थक प्र्यास बाढ़ से निपटने के लिए होना चाहिए, वह उतनी गम्भीरता के साथ नहीं हुए हैं।

1619 बजे (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए)

इस्से ऐसा लगता है, जब बाढ़ आ जाती है, तो उस सम्य एक औपचारिकता पूरी की जाती है, कुछ इमदाद दी जाती है, कुछ मदद दी जाती है। इस काम से निपटने के लिए सेना की भी मदद ली जाती है। सही मा्यनों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ की सम्स्या से निपटने के जो ठोस प्र्यास हमारे देश में होने चाहिए, वे ठोस प्र्यास हमारे देश में नहीं होते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि बाढ़ का जो हलका है, वह हलका तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है।

जो सरकारी आंक्ड़े हैं, उनके मुताबिक 1951 में एक करोड़ हैक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त थी। यह 1960 में बढ़ कर 2.5 करोड़ हैक्टेयर हो गई। 1978 में बाढ़ का क्षेत्र 3.4 करोड़ हैक्टेयर हो ग्या और आज र्वा 2000 में लग्भग सात हजार हैक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में है।

महोद्य, देश में बाढ़ से होने वाली हानि नदि्यों से 60 फी्सदी होती है और 40 फी्सदी अतिर्वा और चक्रवात से होती है 100 में से 60 प्रतिशत नदि्यां हिमाल्य से निकलती है। आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो अ्रूणाचल प्रदेश, अ्सम, हिमाचल प्रदेश और बिहार बाढ़ की चपेट में है। इस्से पहले गुजरात के अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश और महाराट्र में भी तेजी के साथ बाढ़ आई। अकेले गुजरात के अहमदाबाद शहर में लग्भग 10,000 करोड़ का नुक्सान बाढ़ से हुआ।

महोद्य, हमारे देश में चेरापूंजी में 1100 मिली मीटर र्वा होती है, जो सब्से अधिक है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी के इकट्ठे न करने के कारण उसी इलाके में फिर पानी का अकाल हो जाता है। बाढ़ आने का सब्से प्रमुख कारण यह है कि हमारे देश में 33 फी्सदी वन होने चाहिए। आज सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि हमारे देश में सिर्फ 19 प्रतिशत वन हैं और गैर सरकारी सेम्पल सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12 फी्सदी वन हैं। पांच दशकों में जो पेड़ों की कटाई हुई है, उसके चलते भी यह गंभीर सम्स्या पैदा हुई है। र्वा के पानी के संचय की क्षमता नहीं है हमारे देश में सिर्फ दस लाख हैक्टेयर भूमि में ताल्ाब एवं जलाश्य हैं। बढ़ती जन्संख्या के कारण अधिकाधिक आवास, अधिक भवन बनने से भी स्थिति बिग्ड़ी है। अधिक ईंधन और प्रमुख रूप से नदि्यों का कट्व भी बाढ़ के कारण रहा है । यह कितनी दुखद बात है कि हमारे देश में जो बजट बनता है, उस पर, और प्राकृतिक आपदा के लिए जो धन का आबंटन होता है, वह होने वाले नुक्सान की तुलना में नहीं के बराबर है। बाढ़ से होने वाली वार्षिक हानि 18,70,999 करोड़ है और बाढ़ नियंत्रण पर नौवी पंचर्वी्य योजना में 1997 से लेकर 2002 तक सिर्फ 2216 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया ग्या है, जो नहीं के बराबर है। यह देश की सब्से गंभीर सम्स्या है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के सामने जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उनमें एक प्राथमिकता यह भी होनी चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर जो त्वज्जो बाढ़ से निपटने के लिए दी जानी चाहिए, वह हमारे देश में नहीं दी जाती, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देश में बाढ़ और अतिर्वा से तथा चक्रवात से करोड़ों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। उड़ीसा का उदाहरण आपके सामने है। करोड़ों की संख्या में प्शुधन की हानि होती है, फसलें चौपट हो जाती हैं।

सभापति महोद्य, 1990 से 1998 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 6411 करोड़ रुप्ये का प्रावधान किया ग्या। जब माननी्य देवगौड़ा जी देश के प्रधान मंत्री थे तो नदि्यों के कट्व को रोकने के लिए 716 करोड़ रुप्ये का प्रावधान किया ग्या। लेकिन इस सरकार ने उस धनराशि को कम करने का काम किया है। केन्द्र ने गंगा के कट्व को रोकने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया हुआ है। लेकिन दस साल के बाद 15 जून को जल स्संाधन मंत्री जी की अध्यक्षता में उसकी मीटिंग हुई है और 110 करोड़ रुप्ये का इसके लिए प्रावधान किया ग्या है, जो नहीं के बराबर है।

आज नदि्यों के कट्व की स्थिति यह है कि मालदा जिले का 55 किलोमीटर और मुर्शिदाबाद जिले का 104 किलोमीटर हिस्सा और इसकी 36 हजार हेक्टेयर जमीन नदी के गर्भ में चली ग्यी। उसका प्रमुख कारण यह है कि भांख्ड़ा नांगल और फरक्का जैसे ब्ड़े बांधों ने नदि्यों के प्रवाह को प्रभावित किया है और जिसकी वजह से यह कट्व हुआ है। इस सरकार की कोई ऐसी जल नीति नहीं है। सन् 1987 में राट्री्य जल नीति बनाने की बात थी और अक्तूबर 1998 में केन्द्र ने जल नीति का मसौदा राज्य सरकारों के पास भेजा। हमारे देश में जल-विवाद होते रहे हैं और एक नया राज्य उत्तरांचल जो बनेगा, उसमें 17 प्रतिशत नदि्यों का प्रवाह है। जिस मुस्तैदी के साथ जल-विवादों को निपटाया जाना चाहिए था, उन्हें नहीं निपटाया ग्या है। नदी बेसनों को जोड़ने, गंगा को कावेरी से मिलाना, जिसे गारलैंड योजना कहते हैं, प्रसिद्ध इंजीनि्यर वि्श्वेश्वरै्या ने गंगा को कावेरी से मिलाने की बात कही थी, जब श्री केएलवी राव साठ के दशक में सिंचाई मंत्री थे। उनका भी प्र्यास यह था कि अधिक पानी वाले इलाकों से जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पानी पहुंचाया जाए। उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम इस देश में नहीं हुआ। बाढ़ का एक प्रमुख कारण र्वों से नदि्यों की सफाई का न होना भी है। उसी का प्रमुख कारण है कि प्रतिर्वा बाढ़ आती है। इन नदि्यों की जो स्थिति 100 साल पहले थी अगर उसी स्थिति में नदि्यां पहुंच जा्यें तो बहुत कुछ हद तक बाढ़ से बचा जा सकता है।

हमारे देश में 6 लाख के लग्भग गां्व हैं। अगर इन गां्वों के दोनों तरफ जलाश्य बनाकर पानी का संचय किया जा्ये तो भी इस सम्स्या के हल में कुछ काम हो सकता है।

मैंने शुरु में कहा था कि बहुत बेरहमी और बेदर्दी से हमारे देश में पेड़ों की कटाई हुई। इन वनों को काटने वाले लोग और पेड़ों की कटाई करने वाले लोग जो वन माफि्या हैं, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्य्वाही नहीं होती। जिस तरह पेड़ों की कटाई का काम हो रहा है, अगर वह यथावत चलता रहा तो आगे आने वाले सम्य में उसके परिणाम और ज्यादा गंभीर होंगे। यह कितनी दुखद बात है ति बाढ़ को हम प्राकृतिक आपदा मानते हैं और पूरे हिन्दुस्तान को हमने भग्वान के भरोसे छोड़ रखा है। यह देश बाढ़ मुक्त बने और बाढ़ के संबंध में कोई दीर्घकालीन योजना बने, उसके बारे में कभी कोई विचार ही नहीं हुआ। करोड़ों लोग प्रभावित हों, लाखों लोग मर जाएं, लोगों के मकान ध्वस्त हो जाएं, फसल चौपट हो जाए और महज एक औपचारिकता पूरी हो जाए, मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर न्याय्संगत नहीं है। इस देश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए गंभीर प्र्यास होने चाहिए। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की आज सब्से पहले अगर कोई प्राथमिकता हो तो हिन्दुस्तान को बाढ़ मुक्त बनाने का काम होना चाहिए। मैं जानता हूं कि जब प्राकृतिक आपदा , बाढ़, चक्रवात आता है , अधिक र्वा होती है तो लोगों की मदद के नाम पर महज एक औपचारिकता पूरी होती है। लोगों की मदद करने के हमारे जो सरकारी मानक हैं, वे पुराने हैं। 300 रुप्ये में आज कौन सा घर बन जाएगा, 1000 रुप्ये की मदद से कौन सी ब्ड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। मैं आपके मार्फत भारत के कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि एक सार्थक, कारगर और दीर्घकालीन योजना बाढ़ से निपटने के लिए बननी चाहिए। मुझे यही निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोद्य, कुछ र्वों से ऊंचे पहाड़ों में भी बादल का फटना, बाढ़ का आना एक साधारण बात हो गई है। मैं आभारी हूं कि इस सदन के माननी्य सद्स्य श्री रामजी लाल सुमन ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो चर्चा उठाई है, उसमें भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

जहां तक बाढ़ का संबंध है, पहाड़ों में जो बाढ़ आती है और मैदानी क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है, उसमें बहुत ब्ड़ा अंतर है। पहाड़ों में बादल फटने से अक्स्मात पानी का

स्तर बढ़ जाता है और कुछ ही क्षणो में त्बाही मचाने के बाद पानी का स्तर उतर जाता है और फल्स्वरूप ज्ब भी केन्द्र से टीम जाती है और जाकर वहां ढूंढते हैं कि कौन सा एरिया जलमग्न हुआ है, वह देखने को नहीं मिलता। फल्स्वरूप हमें जितनी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। मैं आपका और इस माननीय सदन का ध्यान हिमाचल प्रदेश की ओर ले जाना चाहूंगा। आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि 31 जुलाई की रात और पहली अग्स्त की सुबह मेरे ही चुनाव क्षेत्र में जिला किन्नौर, जिला शिमला का रामपुर क्षेत्र, कुल्लू का आनी और निर्मंड और जिला मंडी का कर्सोग क्षेत्र, ये लग्भग सतलुज नदी के दोनों तटों पर बसे हुए लोगों की जमीने,

सरकारी और गैर्सरकारी सम्पत्ति को नट करते हुए सतलुज का जल्स्तर रात को इतना बढ़ा कि वह नोर्मल स्तर से 40-50 फुट पर बहने लगी और सारे इलाके में त्बाही मचा दी। जो लोग शान्ति से 31 जुलाई को सोये पड़े थे, प्रातः ज्ब उठे तो चारों तरफ पानी ही पानी था। उस दिन हिमाचल प्रदेश में कोई ज्यादा वर्ा नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता था मानों मान्सरोवर टूट ग्या हो और तिब्बत की ओर से पानी आ्या। हिमाचल का सीमावर्ती गांव खाव से लेकर जिला मंडी में बसने वाले गांव तत्तापानी तक त्बाही मचाता हुआ चला ग्या। इसमें हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हुई है, लग्भग 100 जानें जाने की पुटि हुई है और इसका भी सही अनुमान नहीं लगा है कि कितने लोगों की जानें गई हैं, क्योंकि यह सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ है और इस सड़क पर ठेकेदारों द्वारा लगाई गई लेबर भी थी, आई.टी.बी.पी. का कैम्प था और अन्य ठेकेदारों की कई किस्म की लेबर थी, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। प्राथमिक अनुमान के अनुसार लग्भग 2000 करोड़ रुप्ये की क्षति पहुंची है। यह प्राथमिक अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि किन्नौर जिला आज भी देश के बाकी भागों से कटा पड़ा है। लग्भग 15-16 पड़े पुल क्षतिग्रस्त हो ग्ये। इसके अतिरिक्त सात छोटे पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो हिन्दुस्तान तिब्बत रोड है, वह जगह-जगह टूट गई है, जिसके पुनर्निर्माण में लग्भग 6-7 महीने लग सकते हैं और अगर धन की उचित व्यवस्था नहीं हुई तो एक साल भी लग सकता है। वहां की स्थिति बड़ी विकट है। पहली अग्स्त की प्रातः प्रदेश के मान्यवर मुख्य मंत्री महोद्य हैलीकॉप्टर से एरियल सर्वे करने ग्ये और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सीमावर्ती गांव खाव तक ग्ये, जो जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन उस समय कहीं भी वर्ा नहीं थी। यह स्वाभाविक है कि तिब्बत के पहाड़ों में भी उतनी वर्ा नहीं हुई थी कि इतना जल्स्तर बढ़ ग्या। इसलिए यह आवश्यक है, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि चाइना की सरकार से पता लगाया जाये कि कौन सा कारण है, कहां बादल फटा, क्योंकि ज्ब बादल फटता है तो इतने लम्बे क्षेत्र में कभी क्षति नहीं होती, जितनी इस बार हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमाचल में इस प्रकार की बाढ़ लग्भग 61,000 वर्ों के बाद आई है। ऐसी बाढ़ ने पहले कभी किसी ने देखी है, न सुनी है और वहां का जो दर्दनाक सीन था, उसकी माननीय मुख्य मंत्री महोद्य ने वीडियो कैसेट बनाकर लाये थे और उसे उन्होंने मान्यवर प्रधान मंत्री महोद्य को भी दिखाया था कि किस प्रकार से क्षति हुई है और कितना नुक्सान करके आज सतलुज नदी चली गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को इस समय अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाये।

हिमाचल प्रदेश के अपने सीमित साधन हैं। सीमित साधन होते हुए भी मान्यवर मुख्य मंत्री महोद्य ने राहत कार्यक्रमों में कोई कमी नहीं रखी है। मैं केन्द्र सरकार और कृषि मंत्री महोद्य का भी आभारी हूं कि अभी हिमाचल प्रदेश को 100 करोड़ रुप्या प्रदान किया ग्या है। लेकिन इस 100 करोड़ रुप्ये में 50 करोड़ तो वेज एंड मींस का एड्वांस है और 50 करोड़ रुप्या हमारे प्लान एस्सिटैंस का एड्वांस है, अर्थात सही मायनों में अभी हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, लेकिन तुरन्त राहत के लिए यह सार्थक सिद्ध हुई है, इसलिए आपके माध्यम से प्रधान मंत्री महोद्य से और यहां विराजमान कृषि मंत्री महोद्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 500 करोड़ रुप्ये अग्रिम राशि के रूप में आर्थिक सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया जाये, ताकि वह प्राकृतिक प्रकोप से जूझ सके, लोगों को राहत प्रादान कर सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी आपदा हुई है, इस प्राकृतिक आपदा को राट्रीय आपदा घोषित किया जाये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अपने सीमित साधन हैं। हमारे लिए लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव है।

इसके अतिरिक्त मैं आप्से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने शुरू में कहा हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड को जल्दी से बनाना न केवल मेरे क्षेत्र के लिए या हिमाचल प्रादेश के लिए, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। यह सड़क वांगट से आगे बोर्डर रोड आर्गेनाइज़ेशन के पास है, वही इसको देखते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वयं कृपा करें और इस क्षति का जायजा लें। वे रक्षा मंत्री जी से बात करके इस बात का प्रबंध करें कि रक्षा विभाग के इंजीनियर प्रोवाइड किए जाएं, ताकि जल्द से जल्द बैली ब्रिज का निर्माण किया जाए। किसी भी सरकार के लिए एकदम 15-16 बड़े पुलों का और 60 छोटे पुलों का निर्माण करना सम्भव नहीं है। इसलिए जो बहुत ज़रूरी पुल हैं, उनके निर्माण के लिए उनकी सहायता ली जाए, क्योंकि अभी सड़क के बनने में काफी समय लगने वाला है।

किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है। वहां सेब काफी होता है। अभी फसल आने वाली है। वही वहां के लोगों की आजीविका है। इस समय वहां के किसानों की फसल को मंडी तक पहुंचाना एक समस्या है। हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड को बनाने में आर्थिक सहायता उपलब्ध होने के उपरांत भी बहुत समय लगेगा। वहां के किसान जल्द से जल्द अपना माल मंडी तक पहुंचा सकें, इसकी व्यवस्था करना ज़रूरी है। वहां की सरकार ने यह प्लान किया है कि खाव नामक जगह है, वहा के पुल को सबसे पहले बनाया जाए ताकि जो किन्नौर क्षेत्र की उपज है, जो सीधी शिमला से होकर दिल्ली की मंडी तक आती थी, उसे कुल्लू लाना होगा, वाया कुंजम पास लाना पड़ेगा। इससे उन किसानों का तीन गुना ज्यादा खर्च होगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का प्रावधान करना आवश्यक है। यह एक जनजातीय क्षेत्र है। वहां के लोगों के आय के साधन बहुत सीमित हैं। इसलिए इस पर भी विशे ध्यान दिया जाए।

जहां तक केन्द्रीय टीम का सवाल है, मैं कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि वहां एक केन्द्रीय टीम गई हैं। लेकिन कोई भी टीम ज्ब कहीं जाती है तो वह अपने अनुभव से देखती है कि कौन सा एरिया जलमग्न हुआ, वह दिखाओ। वह तो अब नहीं रहा, लेकिन पानी अपने निशान छोड़ ग्या है कि वह कहां तक ग्या। जैसा शुरू में कहा ग्या रेवेन्यू मेनुअल जो हिमाचल प्रदेश का है या अन्य किसी प्रांत का है, किसी किसान की जान चली जाए तो प्रधान मंत्री की ओर से 50,000 रुपए मुआवजा मिल जाता है, प्रांतीय सरकारों ने अपने राजस्व मेनुअल में किसी ने 25,000 रुपए तो किसी ने 30,000 रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन अगर सर्वस्व चला जाए जान बच जाये तो कुछ नहीं मिलता । जो जमीन क्षतिग्रस्त हुई है, वह हजारों एकड़ है। उसको रिक्लेम करना वहां के किसानों के बस की बात नहीं है। न ही उनको उसके बदले में जमीन दी जा सकती है, क्योंकि वहां जमीन नहीं है। बाढ़ से जो मिट्टी, सिल्ट और पत्थर आए हैं, उनकी सफाई के लिए उदारता से धन दिया जाए।

मैं यहां सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा आप सबको विदित है, मैं इस सदन के माननीय सदस्य रह चुके स्वर्गीय राजेश पायलट जी का आभारी हूं। वे हमारा मार्गदर्शन करके गए हैं। उड़ीसा में ज्ब बाढ़ आई थी तो उन्होंने विशे अनुमति से अपने एम.पी. लैड से 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए थे, ताकि वहां राहत कार्यक्रम जारी रह सकें। मैं आपके माध्यम से सी माननीय सदस्यों के ध्यान में

लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री महोद्य ने आप सभी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर सहायता की अपील की है, वह पत्र हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में उस पहाड़ी क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि उस प्रांत के लोग राहत की सांस ले सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उदारता से सांसद निधि से कुछ न कुछ धनराशि उपलब्ध कराएंगे, जो क्षतिग्रस्त लोगों के काम आ सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI RAJKUMAR WANGCHA (ARUNACHAL EAST): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity. The flood situation in the entire North-East, as per report, is extremely grim, as more than 2 million people have become homeless and more than 300 people have already perished. This is not a new phenomenon there. This

has been occurring everyyear. But no positive steps have been taken by the Government of India till today to counter annual this devastation.

Now, as per the report from Assam, no adequate measures have been taken by the Central Government to prevent the outbreak of epidemic. Many people have already died of it. There is a total break down in the health and sanitation system.

I would be very particular today on this very issue in regard to Arunachal Pradesh. Our Minister of Agriculture carried out alrial survey of affected areas after the vast flood which has wrecked havoc in the Upper Siang district and the East Siang district as also in the Dibang valley and Lohit district. This devastation caused by this flood can be compared with the earthquake of 1950s, as in a matter of few hours, the entire stretch of land along its course had been swept away, including embankments. The magnitude of the flood, this time, was so high that practically all the cultivable areas roads, infrastructure starting from Gelling on the border of China to the plains of Brahmputra have been submerged.

Sir, during his visit, the hon. Minister had made an survey of the affected area. I think, he was contented with the aerial survey during his visit. All the affected people had high hopes that some relief would be given to them but I am very pained to say that nothing concrete has, so far, come out. It seems that the Government have taken this calamity very lightly. A very casual approach has been adopted by the Government.

Sir, even the level of water on that fateful day, because of this flash flood, had risen to above 40 metres above the normal level due to which several major bridges across the Siang river had been washed away. One of the famous bridges, the Nubo bridge which was inaugurated by the then Prime Minister Shri Devegowda had also been washed away. Likewise, there were many small and medium bridges across the Siang river which had been totally washed away. Similarly, three major bridges, namely, Nabo bridge, Sangam bridge and Dite, Dime; bridge which were the lifeline of the Siang District had also been washed away including hundred of kms. Of road, power installation etc.

Now people have been masooned and essential commodities are not reaching them. For the last one-and-a-half months, all the administrative circles are cut off from the rest of the country, not to talk about the district headquarters.

I am afraid, the kind of attitude the Government of India has shown, reflects the step-motherly treatment to one of the most sensitive States of this country. In terms of population, it is true that Arunachal Pradesh is a small State, but if we talk about its area, it is one of the largest States of this country and the largest in the North Eastern Region. As you are all aware, this sensitive border State has already bore the brunt of the Chinese invasion in 1962. The district of Upper Siang is located on the Chinese border and is very sensitive in nature. One would, therefore, expect more sympathy and more help from the Central Government which we have not been getting for the last one-and-a-half months.

We are yet to know the reasons for this flood. Through some newspapers, we have learnt that River Siang, which originates in Tibet where it is known as Tsangpho River had breached and thus, devastation had occurred on 11.06.2000. We do not know whether the Ministry of External Affairs had taken up this matter with the Chinese Government. But surely, in this age of globalisation, there should have been some mechanism to prevent and to detect this type of devastation.

In regard to the lives that were lost because of this flood, it may not be compared with that of Orissa. We have seen that because of natural calamities in Orissa, hundreds of people have perished. So, we may not be in a position to compare it. But the amount of impact it had created in the economy of Arunachal Pradesh can be really compared with that of Orissa. I can say that it is proportionate to that of Orissa. As of today, nearly 40 people had died in Lohit, Debang, Upper Siang and East Siang areas of Arunachal Pradesh.

The Government of Arunachal Pradesh has already sent a memorandum, describing the tentative assessment of losses that had occurred because of the devastating floods. It was amounting to Rs.140 crore. Subsequently considerable further losses had been reported and thus, the amount on initial estimate have been nearly Rs. 200 crore. When the report was submitted to the Government of India, at that time, it was confined to only two districts, mainly of Upper Siang and East Siang, but now we are getting a lot of reports about damages in Dibang and Lohit district also. Just two days back, I got a report saying that ten people have perished there. Lohit district is one of the biggest districts in the State of Arunachal Pradesh.

Sir, Rs. 8.80 crore have been earmarked for Arunachal Pradesh from the Calamity Relief Fund. Out of that only Rs. 2.20 crore have been released. I would urge upon the Government of India to release the balance amount. On top

of that, I would urge upon the Government of India to release a minimum amount of Rs. 200 crore immediately to the State of Arunachal Pradesh from national Fund for Calamity Relief in order to face the crisis. People are totally out of touch with their headquarters. We are only airlifting the essential commodities which is also not sufficient.

I would like to put on record my sincere appreciation for the services rendered by the Indian Air Force in these flood affected areas, and the pivital role played in carrying out the relief operation with, high degree of professionalism and efficiency.

I would like to urge upon the Government to look into this problem very seriously which occurred on 11.6.2000. The Minister, after his aerial survey, must have assessed the losses that we have suffered due to this disaster.

We were told that Rs. 100 crore have been released for Himachal Pradesh. Why not for Arunachal Pradesh? Only Rs. 2.20 crore have been released to Arunachal Pradesh, that too from the Calamity Relief Fund which was earmarked against Arunachal Pradesh for 2000-2001. I am not saying that Himachal Pradesh should not be given that amount. But there should not be any discrimination against any State in providing additional relief fund to the affected States. This is my only request to the hon. Minister.

With these few words, I would like to conclude my speech. Thank you.

SHRI M.V.V.S. MURTHY (VISAKHAPATNAM): Mr. Chairman, Sir, year after year, the flood situation is becoming very grave in India. Either in South India or in North India, India is always affected by floods. I would like to ask the Minister of Agriculture and the Government of India as to why we are not able to take any concrete step to tame these rivers. Godavari in the South and Brahmaputra in the East always cause havoc. My friend from Arunachal Pradesh stated that water level is forty metres above the normal level. In Andhra Pradesh, the whole Government machinery is doing nothing but controlling the flood situation in both the Godavari districts while the river Godavari is in Floods.

17.00 hrs.

This is not a new thing. It happens every year. On the other side of India, we are facing drought. Even after 50 years of Independence, we are not able to tame these rivers and utilise them fully. I can understand the difficulty with regard to cyclone. Cyclone is not a man-made thing. It is a divine fury and we may not be able to anticipate it, correctly but we know the flow of rivers. A number of charts are being prepared every year as to where the dams are to be constructed but we always discuss and discuss and leave it there only.

I urge upon the hon. Minister to set up a high level Committee to examine which river is going where and why it is causing flood. Let the Minister submit a White Paper to the House. We would like to know, how many districts have been inundated in how many years; how many people have been evacuated and how much money the Government of India has spent on flood relief measures every year. The money spent for the flood relief may be utilised properly so that we can make full use of our water resources.

We know that in South, our Tamilian and Kannadiga brothers are fighting over Cauvery water. There is no sufficient water stored in Godavari. Much of the water flow into the sea. The Brahmputra is flooding away the whole of Assam and Arunachal Pradesh. It is a very novel situation. The Government appears to be helpless in this regard, but I hope, the Government is not helpless. The Government can help the country, help the farmers, to produce more foodgrains.

The hon. Minister of Agriculture is a very able and understanding person. Recently, he has issued a paper on National Agriculture Policy. I think, in course of time, we should also have a discussion on that. I would request the hon. Minister to make a statement on the flood situation giving ways and means of utilising the river water properly. The hon. Minister should also help those who have lost everything in the flood. This has become a routine matter now. I would request the Hon. Minister to look into it and produce a White Paper on it at the earliest.

SHRI LAKSHMAN SETH (TAMLUK): Sir, in our country the floods have become a regular feature. Every year we are faced with flood which causes devastation. Last year, about 14 States were flooded which caused a huge devastation. Last year, the damage caused to human lives due to flood, was tremendous. About 896 human lives were lost. The loss of animals was about 3861 and 8.82 lakh houses were damaged. The loss to cultivable land was of the order of 7.45 lakh hectare. This is a national calamity which occurs every year. This year also, the States of West Bengal, Himachal Pradesh, parts of Bihar and Assam have been affected.

Why do floods occur? De-siltation in the riverbed, deforestation, heavy rains and erosion of the banks of the rivers are some of the reasons of flood. The hon. Member has rightly pointed out that we cannot understand or tackle cyclone easily, but floods can easily be tackled. Since we know the reasons of flood, we can tackle them easily. But, even after 53 years of Independence, we have not been able to control the floods.

Sir, rain could be a blessing for our society and for our country. If we can conserve rain water, it can benefit our country in many ways. There is no scheme for conservation of water. Some schemes should be taken up to protect the banks of the rivers so that we can tackle the siltation problem. Every dam and barrage has been seriously silted and because of that whenever heavy rains take place, floods also take place.

Sir, under the Planning Commission a Committee called Keshker Committee was constituted to find out the reasons and solutions for floods particularly in the Ganges. This Committee also recommended that about Rs.927 crore would be required for protecting the banks of Ganga. Sir, the situation has deteriorated to the extent that any time Ganga and Bhagirathi may meet. If they meet, the whole South Bengal will be washed out and there will be a catastrophe in our country. So suitable measures and comprehensive plans should be prepared to combat this situation.

Sir, every year the Gangetic and the Godavari regions witness floods and loss of human lives. This happens in about 14 States. About 40 million hectares of land is liable to be flooded. How much we are losing can be easily assessed. So, if the problem is understood and if comprehensive and scientific planning is done, the situation can be tackled easily. In today's age of high technology, it is not impossible. It can be done easily. Every year because of Damodar Valley Corporation (DVC) major parts of West Bengal are being flooded. It is because the catchment area of the DVC is not sufficient and adequate to accommodate the huge rain water. The DVC is forced to open the gates and barrages, with the result vast areas of South Bengal are being flooded. The Kansavati Barrage also needs to be extended to accommodate huge rain water. It is also our experience that because of the mining of dolomite in Bhutan, siltation is taking place in various rivers because all the rivers come from Bhutan to the North Bengal. So, every year, various parts of the North Bengal as well as North Bihar are facing flood situation. So, I think all these things should be restricted. It is possible to do so.

Sir, flood is man-made now. It is occurring because of the failure of the Government machinery. That is why, I suggest to the hon. Minister for Agriculture and the Minister for Water Resources that a comprehensive plan should be evolved. Firstly, de-siltation should be undertaken to a greater extent. Secondly, erosion of the banks should be taken up very seriously.

Afforestation programme should be taken up and the rainwater should be conserved. This would be a blessing for our country. Water is a very very important asset of our country. All the barrages and dams should be cleansed and desilted. These barrages and dams have become very old. They have not been reconstructed or renovated or improved. These are the necessary measures to be taken up to combat the flood situation.

Lastly, I would like to raise one more point. There should not be any discrimination in the matter of allotment of funds. Last year, as you know, just on the eve of the elections there was flood havoc in our State. Out of the 18 districts, 14 districts were totally submerged under water. The Central Team visited West Bengal and made a recommendation that a minimum of Rs.200 crore would be required for the reconstruction work. But it is very unfortunate that last year West Bengal Government received only Rs.29 crore. How could this situation be tackled and how could the devastation be combated with such a small allotment of funds? So, my request to the hon. Minister is not to do anything discriminatory. Every State should be given the same kind of consideration. Immediately the Government of India should take steps for the protection of the banks of these rivers and stop erosion caused by the river Ganga. Otherwise the whole State of West Bengal will be totally under water or a large area of the State will be washed away.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री अनिल ब्सु (आराम्बाग) : स्भापति महोद्य, हर साल यह चर्चा होती है, लेकिन ग्वर्नमैंट का कोई एक्शन नहीं है। ग्वर्नमैंट का प्रोग्राम ऑफ एक्शन होना चाहिए। भाण बहुत हो ग्ये। हर साल हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर ग्वर्नमैंट का कोई एक्शन प्लान नहीं है।

श्री न्वल कि्शोर राय (सीतामढ़ी) : सम्मानीय स्भापति महोद्य, आपने मुझे बोलने का अ्वसर दि्या, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्य्वाद देता हूं। इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आजादी के पचास र्वा हम बिता चुके हैं। स्वर्ण ज्यन्ती र्वा के बाद भी हर बीते र्वा में कम से कम एक बार सुखाड़ के स्वाल पर और कम से कम एक बार बाढ़ के स्वाल पर कि्सी न कि्सी नि्यम के तहत हम यहां चर्चा करते हैं। जि्समें स्भी पक्षों के माननीय सद्स्यों के महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं, सरकार का महत्वपूर्ण उत्तर और आ्वासन भी आते हैं। लेकिन हर र्वा बाढ़ प्रभावित एरि्याज में बढ़ौतरी हो रही है। हर र्वा बाढ़ और सुखाड़ से जो क्षति होती है, उस क्षति की भरपाई के लिए और राहत देने के लिए जो सहाय्ता दी जाती है, वह बढ़ती ही जाती है। औसत रूप में सरकारी आंक्ड़ों के हि्साब से देश में कुल 40 मिलि्यन हैक्टेअर जमीन बाढ़ प्रभावित आंकी गई है। सरकारी आंक्ड़ो के हि्साब से 18 लाख 70 हजार करो़ड़ रुप्ये औसतन प्र ाति र्वा क्षति होती है। मैं समझता हूं कि गैर सरकारी आंक्ड़े और भी काफी आगे बढ़ जा्येंगे। लेकिन सरकारी आंक्ड़ो के हि्साब से 18 लाख 70 हजार करो़ड़ रुप्ये प्र ाति्र्वा औसतन हानि होती है। 1993 में 2290 मिलि्यन हैक्टेअर एरि्या बाढ़ प्रभावित था जो 1998 में बढ़कर 5519 मिलि्यन हैक्टेअर हो ग्या, इस र्वा पिछले महीने तक रिपोर्ट्स आई हैं। अभी बिहार में पिछले सप्ताह बाढ़ का प्रकोप हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, महाराट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, गुजरात के कुछ इलाके

और बंगाल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिससे 50 हजार करोड़ रुपये की हानि का अनुमान किया गया है।

सभापति महोदय, अभी बिहार के 11 जिलों में बाढ़ की वजह से लोग काफी परेशानी में हैं। वहां 24 जिलों में किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ का कुप्रभाव है। बिहार में बाढ़ से लगभग 325 व्यक्तियों के मरने की खबर आधिकारिक रूप से आ चुकी है। वास्तविक रूप में हो सकता है यह आंक़ड़ा और ज्यादा व्यक्तियों का हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे इस पक्ष की हो या उस पक्ष की, विगत 50 वर्षों से बाढ़ की समस्या से निदान पाने की चर्चा होती रही है, बाढ़ से क्षति होने पर राहत प्रदान करने का काम किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं और मैं इस बात से इंकार भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह राहत आदि प्रदान करने का जो काम है, यह बाढ़ से हुई क्षति के लिए अस्थाई राहत प्रदान करने जैसा है। बाढ़ के स्थाई समाधान की चर्चा नहीं होती है। जब चर्चा होती है और जो ठोस सुझाव आते हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम नहीं होता जिसके कारण आज देश में बाढ़ की भयावहता बहुत बढ़ गई है।

सभापति महोदय, मैं आपको बाढ़ से क्षति होने पर दी गई राहत सहायता के 1995-1996 से 1999-2000 तक के फिगर्स बताना चाहता हूं। इन वर्षों में केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों को कुल राहत राशि के रूप में 6,30,427 लाख रुपए दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, यहां पर माननीय कृषि मंत्री बैठे हैं, यहां पर माननीय जल संसाधन मंत्री भी विराजमान हैं, मेरा दोनों माननीय मंत्रियों से निवेदन है कि वे मिलकर के इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य ढूंढें। भले ही 50 साल बाद ही सही, लेकिन अब तो इस समस्या का स्थाई समाधान होना ही चाहिए।

सभापति महोदय, आपको विदित होगा कि हमारे देश में 1960 के दशक में श्री के.एल.राव, सिंचाई मंत्री थे, तब से इस पर चर्चा चल रही है। तब जो योजनाएं बनीं उनमें कोसी नदी योजना एवं अन्य अनेक योजनाएं हैं, जो अधूरी पड़ी हुई हैं और कुछ तो ऐसी हैं जिन पर आज तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसके कारण बाढ़ आ रही है और हमें भारी रकम बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च करनी पड़ रही है। प्रति वर्ष केन्द्र सरकार बाढ़ से राहत के लिए, बाढ़ में फंसे लोगों को पानी से निकालने के लिए नावों का प्रबन्ध करती है, लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए अन्य अनेक प्रकार के प्रबन्ध करती है तथा यदि किसी की बाढ़ के कारण मृत्यु हो जाती है, तो केन्द्र सरकार की ओर से राहत के रूप में मृतक के परिवार को 50 हजार रुपए की धनराशि भी मुआवजे के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें अपने यहां के नियमों के अनुसार मृतकों के परिवारों को राहत राशि देती हैं, लेकिन यह बाढ़ का स्थाई समाधान नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे देश में बाढ़ की समस्या के स्थाई समाधान की चर्चा श्री के.एल. राव के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी। उस समय जल प्रबन्धन के अन्तर्गत नदियों को गहरा करना, उनका एम्बैकमेंट बढ़ाना, उनकी मरम्मत करना और हर गांव में कम से कम चार तालाब बनाकर पानी का संचय करना शामिल है, जहां दूसरे देशों से बात करने की आवश्यकता है, जैसे नेपाल से निकलने वाली नदियां, नेपाल की सीमा से लगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती हैं, तो नेपाल से बात करना आवश्यक है, इसी प्रकार चीन के साथ तिब्बत के रास्ते भारत की जो सीमाएं लगती हैं, वहां बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न होती है, वैसी स्थिति चीन के साथ बात करना आदि, अनेक कार्य होते रहे हैं। सरकार ने काफी प्रयास किया है कि अपनी ओर से हर संभव कार्रवाई की जाए, सम्यक प्रयास किए जाएं, लेकिन जो ठोस सुझाव हैं, उनको अमलीजामा पहनाने का काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही और सुनहरा अवसर है जब हमें बाढ़ का स्थाई समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए और इस विषय पर एक सम्यक चर्चा करा कर, देश के सभी भागों में बाढ़ के स्थाई समाधान के लिए ठोस फैसले लेने चाहिए। इन प्रयासों में यदि हमें अन्य देशों से बातचीत करने की आवश्यकता पड़े, तो वह भी करनी चाहिए और इस समस्या का स्थाई समाधान निकालना चाहिए। इसके स्थाई समाधान के लिए जो हमें देश के अंदर काम करने हैं, जैसे दो नदियों को जोड़ना, बेसिन से बेसिन को मिलाना, नदियों की 100 साल पूर्व की गहराई देने का काम करना, एम्बैंकमेंट चौड़ा करना आदि फैसले लेने का काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष राहत कार्य के लिए जो पैसे आप देते हैं उसके वितरण पर प्रदेशों में अनेक जगहों में मार-पीट होती है, अनेक झगड़े होते हैं, गोल माल होता है और सही समय पर सही लोगों को सहायता नहीं पहुंच पाती है। उस सबसे तो यही बेहतर रहेगा कि उस राशि से स्थाई निदान ढूंढने का काम होना चाहिए, यह अनुरोध मैं आपसे करना चाहता हूं।

मैं बाढ़ से घिरा हूं। आप पूर्व में वहां से विधायक रहे हैं जहां से मैं आता हूं। अभी 30 तारीख को बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जिलों में भयंकर बाढ़ आई है।â€¦(व्यवधान) डिपार्चर ले लिये हैं लेकिन फिर भी उन्हें ममता होगी।

सभापति जी, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बेलसन में, रोनी सैदपुर और ओराई, इन तीनों जगहों में परेशानी है। इन तीनों जिलों के ब्लाक कार्यालय में पानी घुसा हुआ है। इस कारण बी.डी.ओ. को कहीं और जगह शरण लेनी पड़ी है। सैंकड़ों लोग छत पर अभी भी हैं। लोग बांध पर घिरे हुए हैं क्योंकि वहां नाव नहीं है। चारों तरफ त्राहिमाम् है। हम आपको अखबार की कतरनें दिखाना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि सरकार ने सेना से मदद मांगी है। इस संबंध में कई अखबार भरे पड़े हैं। एक दो जगह हेलीकॉप्टर से कुछ सामान गिराये जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेलसन, रोनी सैदपुर और ओराई के सैंकड़ों लोग बांध पर टिके हुए हैं। जब हेलीकॉप्टर द्वारा फूड गिराया जाता है तो वहां छीनाझपटी मच जाती है।

â€¦(व्यवधान) आप थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए तो अच्छा होगा क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं जहां अभी भी लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। इसी डिसक्शन के लिए मैं यहां रूका हुआ था। आपसे विदा लेकर मुझे फिर क्षेत्र में भी जाना है क्योंकि लोग वहां परेशानी में हैं। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास तो जरूर कर रही है लेकिन वह सामयिक नहीं है, समीचीन नहीं है। सभी लोगों को बचाव के लिए सामान नहीं मिल पा रहा है। दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में लोग ऊंचे स्कूल में शरण लिये हुए थे लेकिन इस साल ऊंचे स्कूल मे भी पानी प्रवेश कर गया है।

हम आपके माध्यम से कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि वहां एक टीम तो जरूर भेजें लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं भी हेलीकॉप्टर से हमारे उस इलाके का दौरा करें। यदि वह तत्काल दौरा करते तो कृपा होती। अगर देर से जायेंगे तो वहां पानी का चिह्न रहेगा लेकिन पानी नहीं दिखने पायेगा। अभी लोग छत पर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसी शनिवार और रविवार को वहां चले जाते तो सर्वेक्षण हो जाता और वहां की बदहाली भी वे देख लेते। वैसे माननीय कृषि मंत्री जी कई बार देख चुके हैं लेकिन इस बार हर बार से ज्यादा बाढ़ आई है। â€¦(व्यवधान) मैं एक-दो मिनट और लूंगा। â€¦(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं। अभी सी.पी.ठाकुर जी मंत्री थे। उनसे चर्चा हुई थी, बैठक भी हुई थी। हर साल हम परेशान होते हैं। करोड़ों रुपये की क्षति होती है और अनेक तरह से जान-माल का खतरा होता है। वहां कोसी की स्थिति की 1946 में परिकल्पना हुई थी, वह अभी भी पूरी नहीं हुई। जिस भागमति के दोनों तरफ आप बराबर घूमते रहे हैं और आपके राजनीति जीवन की वही जगह है।

श्री रामदेव भंडारी के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि वहां भागमति 39,895 किलोमीटर, कमला 15,178 किलोमीटर और कोसी 2,60,208 किलोमीटर लम्बी नेपाल में पड़ती है। नेपाल से वार्ता होने की भी बात थी। अखबारों के माध्यम से पता चला है। â€¦(व्यवधान) राज्य सभा के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि भारत नेपाल समझौता हो गया है। मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा। हमको पीछे आश्वासन दिया गया था कि भारत से एक टीम नेपाल जायेगी और वहां उनसे वार्ता होगी। अखबारों के माध्यम से यह भी पता चला कि श्री ब्रजेश मिश्र जी वहां गये थे लेकिन क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी हमको और सदन को नहीं है। फिर वहां

के माननीय प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला यहां आये थे। उस दिन भी सदन में माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान हमने खींचा था। उस समय विदेश मंत्री जी भी बैठे थे। बाहर जब विदेश मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वार्ता चल रही है। मैं आपके माध्यम से इस मौके पर यह स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि आपकी नेपाल से क्या वार्ता हुई ? क्या आप समय सीमा के अंदर उत्तर बिहार की उन नदियों, अध्वाड़ा समूह की तेरह नदियों--भागमती, कमला बालान, कोसी आदि के समाधान को स्थायी रूप देने वाले हैं या नहीं? अगर नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है और यदि दिक्कत है तो नेपाल से निकलने वाली हमारी जो नदियां हैं, कम से कम बिहार की उस धरती पर जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है, जो बांध बना हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसकी मरम्मत का काम और उस नदी को सौ साल पहले की गहराई देने का काम करने में आपको क्या कठिनाई है ?

हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस सदन में जब सरकार की ओर से जवाब आए, जल संसाधन मंत्री महोदय भी बीच में इंटरवीन करेंगे तो इस बात को साफ करेंगे और समय सीमा के अंदर इसे पूरा करवा कर बाढ़ का स्थायी समाधान करने का प्रयत्न करेंगे।

अंत में हम कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि उत्तर बिहार के 11 जिलों में जो लोग कराह रहे हैं, आप कृपा करके वहां का दौरा करिए, वहां के लोगों को दोखिए और बिहार सरकार को जो राहत की राशि देनी है, वह जल्द से जल्द दीजिए। प्रश्न के जवाब में हमें मिला है कि सभी राज्यों को राशि जारी हुई है लेकिन बिहार सरकार को राशि जारी नहीं हुई है। हमने ध्यानार्कृण प्रस्ताव दिया था जो स्वीकृत नहीं हुआ तो एक स्टेट्स पेपर आया, उसमें फिगर है जिसमें स्पष्ट है कि जिन राज्यों को राशि रिलीज हुई है, उसमें बिहार का नाम नहीं है। हो सकता है कि इस बीच में राशि जारी हुई हो, अगर नहीं जारी हुई हो तो जल्द से जल्द राशि जारी होनी चाहिए और आपका वहां दौरा हो, बचाव कार्य हो। भारत सरकार बिहार सरकार को सहयोग करे और पिछले तीन साल में भारत सरकार ने बिहार सरकार को जो राशि दी है, उसका वितरण ठीक से नहीं हुआ है। हम आपके माध्यम से सरकार से चाहते हैं कि उसकी मौनीटरिंग हो, तीन साल की जांच हो कि जितनी राशि दी गई, उसमें से कितनी खर्च हुई, कितनी नहीं हुई। यह भी महत्वपूर्ण बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अंदर बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। हमारे कई पूर्व वक्ता इस बात को बार-बार दोहरा चुके हैं कि हिन्दुस्तान के अंदर बाढ़ एक सतत प्रक्रिया है। हर साल बाढ़ आती है, जन-धन की हानि होती है, करोड़ों रुपये का नुकसान होता है और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। बार-बार यह बात कही गई है कि बाढ़ की जो समस्या है, उससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान होना चाहिए लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हिन्दुस्तान के अलग-अलग कोने में जो नदियां हैं, वे अपने-अपने हिसाब से नुकसान करती हैं। उसके विषय में भी अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है कि किस तरह से इस नुकसान को रोका जा सकता है। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान मुल्क है। आज जबकि सरकार संसाधनों की कमी से परेशान है, खेती पर पलने वाली आबादी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, उसे खास तौर से यह ख्याल रखना चाहिए कि बाढ़ से जो नुकसान होता है, वह मूलतः खेतीहर काश्तकारों का होता है और उस नुकसान से उनकी पूंजी का नाश हो जाता है, उनकी समस्त सम्पत्ति का नाश हो जाता है और उनकी क्षमता कमजोर होती है।

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जो बहुत उपयोगी उपजाऊ क्षेत्र है, हिन्दुस्तान के जो अनाज के भंडार हैं, उन्हें भरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वहां से मिलता है। हिमालय से जो नदियां नेपाल से होती हुई आती हैं, वह उनकी बाढ़ से प्रभावित रहा है। अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय राय साहब बता रहे थे कि बिहार के प्रान्त में जिस तरह नेपाल से बह कर आने वाला बाढ़ का जल भयंकर नुकसान करता है, आज उत्तर प्रदेश के सम्पूर्म तराई क्षेत्र की भी वही कहानी है। कई साल पहले आपने अखबारो में पढ़ा होगा।

माननीय कृषि मंत्री महोदय ने भी इस बात को संज्ञान में लिया होगा कि किस तरह से गोरखपुर सब डिवीजन में बाढ़ आई थी, वहां कई महीने तक लगातार पानी रुका था और कम से कम दो फसलों का बड़ा व्यापक नुकसान हुआ था। उसी प्रकार से जनपद खीरी, जनपद पीलीभीत, जनपद बहराइच और सीतापुर के वे हिस्से, जो नेपाल से लगे हैं, उन क्षेत्रों में भी जो शारदा नदी तथा वहां की जो पहाड़ी नदियां है, मोहाना नदी, कोड़ियाला नदी और घाघरा नदी, इन नदियों को बाढ़ से बड़ा व्यापक नुकसान हो रहा है।

हमारे क्षेत्र की समस्याएं बड़ी अजीब सी हैं। पानी जो आता है, वह खाली बाढ़ ही नहीं लाता, वह खेती के योग्य बहुत सी कीमती जमीनों को काटकर नट कर देता है। आज स्थिति यह है कि अकेले शारदा नदी की बाढ़ के पानी की रफ्तार इतनी तेज है, इतना ज्यादा उसके पानी की गति है कि हजारों एकड़ कृषि योग्य जमीनें पानी में कटकर चली गई हैं, एकदम साफ हो गई हैं और दर्जनों गांवों का नामोनिशान मिट गया है। आज स्थिति यह है कि हजारों आदमी विस्थापित बने हुए हैं। उनके पास खेती तो बाद की बात रही, रहने के लिए भी जमीन नहीं बची है। हमारे यहां जो बाढ़ आती है, उसका मुख्य कारण शारदा नदी के ऊपर जो नानक सागर बांध बना हुआ है, वहां से पानी छोड़ा जाना है। हर साल कई चरणों में दो, तीन, चार लाख क्यूसैक्स पानी छोड़ा जाता है और उस पानी से अप्रत्याशित जन-धन की हानि होती है और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। लेकिन इधर कुछ दिनों से एक नई चीज सामने आई है, मैंने पिछले साल भी सरकार का ध्यान इस विषय पर खींचा था, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। हिन्दुस्तान के पड़ोस के राज्य नेपाल के अन्दर जो तराई का क्षेत्र था, वह पहले दलदली क्षेत्र हुआ करता था। उस क्षेत्र को कृषि योग्य क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए चाइना सरकार और कोरिया सरकार की मदद से एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट बनाया है, उस प्रोजैक्ट के अनुसार उन्होंने जो जल भराव के क्षेत्र थे, वहां बड़े-बड़े डाइक्स बनाये हैं और जिस क्षेत्र में नदियां जल भराव किया करती थीं, उनकी जो जलधारा है, उसको दक्षिण की तरफ मोड़ दिया गया है। मेरे क्षेत्र से लगे हुए जनपद पीलीभीत में टार्टरगंज और काम्बोज नगर वे क्षेत्र हैं, जहां पर यदि आप कोई स्पेशल कमेटी भेजेंगे तो आपको पता लग जायेगा कि किसी तरीके से नेपाल सरकार ने जो निर्माण किया है, उसमें उसने हिन्दुस्तान को कॉन्फीडेंस में नहीं लिया है। आज हालत यह है कि हजारों एकड़ जमीन, जो जलधाराएं हिन्दुस्तान की सीमा के अन्दर मोड़ी गई हैं, उससे नट हो गई है। जो पानी शारदा सागर बांध से छोड़ा जाता है, उसके बारे में तो हमें फिलहाल 24 घंटे पहले यह जानकारी भी मिल जाती है कि पानी आने वाला है, लेकिन जो पानी नेपाल से आ रहा है, उस पानी की इतनी तेज रफ्तार है, इतनी ज्यादा मिट्टी कट रही है, इतनी जमीनें उसने नट कर दी हैं और उसकी मात्रा और परिमाण के बारे में हमारे क्षेत्र निवासी और हमारे क्षेत्र का प्रशासन भी कुछ नहीं जान पाता है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उपज रही है। इसका समाधान करने के लिए शासन के स्तर से और नेपाल सरकार से मिलकर बहुत ही आवश्यक कदम उठाने की मेहरबानी करें। एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शारदा नदी के अन्दर जो बाढ़ आ रही है, उससे हमारे जनपद के सम्पूर्णानन्दनगर चीनी मिल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नदी की धारा हर साल मुड़ जाती है और अब यह स्थिति है कि यह चीनी मिल नदी की सीध में आ गई है, उसके किसी दिन भी कट जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह छौरहरा तहसील में गोविन्द शुगर मिल, जो खुमरिया फैक्टरी कहलाती है, वह भी नदी की धारा की सीध में आ गई है और उसका भी किसी भी दिन कट जाने का खतरा पैदा हो गया है।

> इसी के साथ ही शारदा नदी की जो वैगरीज हैं, इसका जो अनियंत्रित बहाव है, उसके कारण मैलानी और पलिया के बीच में भीरा कस्बे के पास रेल लिंक, जो नोर्थ ईस्ट रेलवे का रेल ट्रैक है, उसके भी कट जाने का बड़ा भयंकर खतरा पैदा हो गया है। भीरा कस्बा, जो कि 10,000 की आबादी का कस्बा है, उसके सामने भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसके साथ-साथ जो विश्वविख्यात दुधवा नेशनल पार्क है, जो भारत नेपाल की सीमा पर बसा हुआ है, उस पार्क के अन्दर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। सैंकड़ों एकड़ की वन सम्पदा का नाश हुआ है और हजारों की तादाद में जानवर उस बाढ़ से प्रभावित हैं। बाध संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई थी। उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारा मंत्री जी से अनुरोध है कि नेपाल सरकार से बात करके यथाशीघ्र शारदा नदी की बाढ़ की समस्या का निदान करें। शारदा नदी के ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक जो ठोकरें बनाने का काम था, वह भी शुरू नहीं हुआ। उसे भी जल्द शुरू कराकर पूरा कराएं। नदी के दोनों तटबंधों को सीमित

करने के लिए जल्द ही कोई प्रोजेक्ट बनाएं, जिस्से शारदा बैराज से घाघरा नदी के संगम तक, जहां पर हमारे जनपद की धौरा तह्सील है, लखीमपुर की तह्सील है और हमारे पड़ौस में सीतापुर जिले की लहरपुर तह्सील बुरी तरह प्रभावित होती है। वहां हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती है, कम से कम उस पर सार्थक काम किया जा सके। मुझे एक बात और कहनी है। शारदा परियोजना हमारे यहां चल रही थी। यह एक बड़ी परियोजना है। इस्से हमारे क्षेत्र को लाभ होता है। अब उसके पुनर्मूल्यांकन का समय आ गया है। सिल्टिंग के कारण या अन्य कारणों से उसकी क्षमता निरंतर गिर रही है। उसका क्षेत्र आगे बढ़ाया जाए। भारत सरकार के द्वारा एक सुहैली परियोजना स्वीकृत की गई थी। 25 सालों से यह अधूरी पड़ी थी। बड़े प्रयासों के बाद भारत सरकार से पैसा मिल सका। लेकिन एक समस्या है, जिसकी ओर बार-बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। सुहैली परियोजना में शारदा नहर बनाई गई थी, उस पर एक गजियापुर साइफन बनाकर नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किया गया था। जैसे ही वह बना, नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन अवरोध को नहीं हटाया गया। आज उसके कारण मेरे क्षेत्र के कम से कम 40 गांवों के लोगों के लिए कहीं बैठने को स्थान नहीं है, क्योंकि वहां पानी आता है और हर साल आता है। इस पर भी विचार किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सभापति महोदय, मैं महाराट्र के चिमूर निर्वाचन क्षेत्र के आता हूं। उस क्षेत्र में चार जिले पड़ते हैं और वहां ज्यादातर किसान हैं। जहां तक मेरा ख्याल है किसान ईमानदार होता है। मैं यह नहीं कहता कि बाकी लोग बेइमान होते हैं, लेकिन किसान ईमानदार होता है, यह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने बहुत लगन के साथ, अपने घर का सामान, जेवरात आदि बेच कर खेतों में फसल की बुवाई बड़ी आशा से की। लेकिन इस साल 25 मई से 15 जून तक भारी बारिश हुई, जो पहले कभी इतनी नहीं हुई थी। इस अतिवृटि के कारण हमारे यहां की फसल को भारी नुकसान हुआ। मेरे क्षेत्र में गोसीखुर्द और ईट्यिाडोह प्रकल्प है, जिस्से हम धूपकालीन फसल बोते हैं। उसका समय और अतिवृटि का समय एक ही रहा। अतिवृटि के कारण फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पहले अतिवृटि के कारण नुकसान हुआ, बाद में 30 जून से 2 जुलाई तक बाढ़ आई, उसके कारण भी नुकसान हुआ। अब वहां पानी की एक बूंद नहीं है, सूखा पडा है । यानी किसान को तीनों तरफ से मार पड़ी। अब वहां का किसान क्या करे। मैंने इसीलिए कहा कि किसान ईमानदार होता है। ईमानदारी से खेती बोता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह हताश होता है। यह बात तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे यहां अप्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जिनको हम सुल्तानी आपदा भी कहते हैं।

सुलतानी आपदा इसलिए बोलता हूं कि तालाब में जहां वेस्ट वेअर करना चाहिए, वहां वेस्ट वेअर न करने से बाढ़ का पानी पहाड का पानी वहां जम गया, ओवरफ्लो हो गया और वह तालाब फूट गया। एक रात में बाढ़ आ गई। अच्छा हो गया कि एक घंटे के बाद बाढ़ आई। लोग जाग गए थे, गांधीनगर उस गांव का नाम है, जो गडचिरोडी जिले में है ।

मेरे क्षेत्र में रोहणी नाम का भी एक गांव है। वहां शासन ने रास्ता तो बनाया लेकिन नाली नहीं बनाई, सि डी वर्क नहीं बनाये उसके कारण बाढ़ आई है। एक पारलगांव नाम का गांव है। वहां नदी लगकर गुजरती है। मिट्टी निकलती है और वहां बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। उसी तरह खैरीपट नाम का गांव है। वहां एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ नाले की बाढ़ आती है। कभी गांव को नुकसान तो कभी खेती को नुकसान होता है। इसलिए मेरी मांग है खैरी (पट) गांव का तुरन्त पुर्नवासन किया जाये और मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि कारखानेदारों का अगर नुकसान हुआ तो उनको हम बीमार बोलते हैं। सिक कहकर जितना उनको लोन दिया जाता है, वह लोन माफ कर दिया जाता है और फिर उतना ही लोन वे फिर ग्रहण करते हैं। फिर खेती को सिक बोलकर बीमार बोलकर उनको हम सहूलियत क्यों नहीं दे सकते? इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी बाढ़ग्रस्त या प्रकल्पग्रस्त किसान हैं और उनके ऊपर जो भी कर्जा है, वह कर्जा माफ करना चाहिए। पिछले पचास साल में 39 कारखानेदारों का 39,000 करोड़ रुपये माफ कर दिया गया जिसमें टाटा को 800 करोड़, बिरला को 700 करोड़ रुपये, महेन्द्र एण्ड महेन्द्रा कंपनी, डुबरो इत्यादि ऐसी मेरे पास लिस्ट है। जो 39 कारखानेदार हैं, उनका लोन माफ कर दिया गया है। क्योंकि वे कारखाने सिक में आ गये हैं। जब कारखाने सिक में आ सकते हैं तो खेती सिक में क्यों नहीं आ सकती? इसलिए मेरी विनती है कि जो प्रकल्पग्रस्त हैं, बाढ़ग्रस्त हैं क्योंकि वे बेचारे तो पहले ही फंसे हुए हैं, उनको कर्जे के दलदल से निकालिए और मुझे आशा है कि आप उन्हें कर्जे के दलदल से जरूर निकालेंगे। केन्द्र की मदद 1999-2000 में कैलेमिटी रिलीफ फंड 78 कोटि पचास लाख रुपये महाराट्र राज्य को मंजूर हुआ है। लेकिन 44 कोटि 25 लाख रुपये अभी तक मिला है। अभी और 34 कोटि पचास लाख रुपया बाकी है। उसको फंड तुरंत दिया जाये और बाकी राशि भी दी जाये। यह केन्द्र से मेरा आग्रह है। भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गडचिरोली इन चार जिलों में नीचे दिया गया नुकसान हुआ है। अंशत : गिरने वाले मकान की संख्या 15,661 है। पूरी तरह गिरने वाले मकान की संख्या 1,185 है। खेती का नुकसान पचास प्रतिशत से कम है जिनमें 17,544 हेक्टेअर है। पचास प्रतिशत से ज्यादा है, वह 65,960 हेक्टेअर है। मृत व्यक्ति की संख्या 10 है। मृत जानवर की संख्या 58 है। निराधार व्यक्ति की संख्या 5213 है। खावटी के रूप में राज्य शासन ने अब तक 42,30,600 रुपया दिया है। 600 रुपया प्रति कुटुम्ब दिया है। मेरा आग्रह है कि केन्द्र को भी जितनी जो भी सहायता देनी है, वह उसे तुरन्त देनी चाहिए और कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। चन्द्रपुर जिला प्रमुख उत्पादन वाला जिला होने पर खदान से कोयला हेतु निकाली जा रही पत्थर व मिट्टी को नदियों के किनारे जमा किया जाता है जिस वजह से वर्धा नदी, इरई नदियों को जब भी बाढ़ आती है, इस ओवर बर्डन डंपिंग की वजह से खेती में बाढ़ का पानी घुस आता है। एक तरफ मिट्टी डालते हैं। बाढ़ जब आती है जिस तरफ मिट्टी होती है, उस तरफ बाढ़ नहीं जाती है। दूसरी तरफ वह बाढ़ किसानों को तकलीफ देती है। उस गांव को तकलीफ होती है।

मेरी आपसे विनती है कि माजरी, लालपेढ, पदमापुर और चन्द्रपुर क्षेत्रों में जो मिट्टी डम्प की जा रही है, वह नियोजित प्लानिंग से की जानी चाहिए। इसके साथ ही गरीब किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है, उसको मुआवजा देने का कृपा करें।

अंत में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

SHRI A.F. GOLAM OSMANI (BARPETA): Mr. Chairman, as I come from Assam, naturally I will emphasise on this aspect so far as Assam is concerned.

It is a perennial problem with the State of Assam and other North-Eastern States. My friend, the hon. Member from Arunachal Pradesh has described the plight of that area. So, what is to be done? There has to be a long-term programme to face this annual problem.

So far as Assam is concerned, it is said that harnessing of Brahmaputra will solve the problem but that is a long drawn out affair. It has to be taken up with China. But so far as the tributaries of Brahmaputra are concerned, there were piece-meal planning to raise embankment on them for flood moderation. Nothing has been done yet. There is one Brahmaputra Board which is carrying on only surveys. Sir, the main problem with regard to this has to be tackled with a special arrangement. Let there be a special arrangement on behalf of the Government of India involving Assam, Arunachal Pradesh, and adjoining areas.

This year, devastating flood has occurred in most of the areas of the Brahmaputra Valley. So far as Demaji and

Lakhimpur districts are concerned, it was devastating and they were declared as flood affected areas but no relief has been given to that extent. The districts of Kamrup, Barpeta, and Goalpara were heavily affected. Till now, no systematic arrangement has been made to tackle the problems of the people who have been affected by flood.

17.48 hours (Shri P.H. Pandiyan *in the Chair*)

The Centre has got a Fund which will release some money, perhaps, afterwards. Till now, the Government of India has not come out with any definite statement about the release of any fund from the Calamity Fund. The Assam Government has also not taken up the matter with the Central Government with that seriousness. We implore upon the hon. Minister to look into it and advance whatever amount it deems fit to face the immediate problem of the flood-affected people.

Sir, it is not a question of relief. About the medical aspect, there is already an apprehension that a large-scale epidemic will break-out in the affected areas of Goalpara, Barpeta, Nalbari, and Demaji districts. A Central team has to be sent immediately to assess the gravity of the problem not only in relation to the present flood but also to assess the present plight of the people affected by this flood. So, I would request the hon. Minister to constitute a team immediately and send them to the affected areas of Assam, Arunachal Pradesh, and adjoining areas and he himself should pay a visit to assess the situation personally.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और असम का भी कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। इस सदन में हम हर साल कभी बाढ़ पर और कभी सूखे पर चर्चा करते हैं। जून की शुरूआत में भारी वर्षा के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत भारी नुकसान हुआ। आज जब हम सदन में बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं तो दिल में एक डर है। आज जो स्थिति महाराष्ट्र की है, वह बिलकुल सूखे के कगार पर खड़ा है। अगले सत्र में सूखे पर इस सदन में चर्चा न हो, इसलिए सदन के माध्यम से जो प्रजन्य देवता और वरूण देवता हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि सारे देश में सूखे पर चर्चा करने की नौबत इस सदन में न आए।

सभापति महोदय, जब बाढ़ आती है तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को राहत के लिए जो प्रयास करना आवश्यक है, वे अपने तौर पर करती हैं। चाहे फसलों, मकानों या जान का नुकसान हो, भारी मात्रा में नुकसान होता है। उस नुकसान को पूरा करना न राज्य के हाथ में है और न ही केन्द्र के हाथ में है। इसलिए गंभीरता पूर्वक भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी बाढ़ के विषय में सोचने की आवश्यकता है। बाढ़ को रोकने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, उनकी जानकारी आज सारे देश को है। हर साल उड़ीसा, बिहार और असम में बाढ़ आती है। बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों की हमें जानकारी है, इसलिए यह संभव है कि वहां निश्चित रूप में कुछ एक्शन प्लान बना कर उसे रोकने का प्रयास करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सदन में जब चर्चा होती है तो सारे सदस्य चिन्तित होते हैं और सरकार भी चिंतित होती है। भारत सरकार की ओर से जो सहायता दी जाती है, उस पर भी अलग-अलग विवाद होते हैं। इस सदन में हर बार कहा जाता है कि यह सहायता आम नागरिक तक समय पर नहीं पहुंचती। सरकार ने जो धनराशि विकास के लिए रखी हुई है, उसी धन में से कुछ राशि हमें बाढ़ पर नियंत्रण के लिए और बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए खर्च करनी पड़ती है।

इससे खर्च दुगुना हो जाता है। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उन्होंने अपने विकास के जो प्लॉन बनाए होते हैं उन पर भी वे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती हैं, धन पूरा खर्च नहीं हो पाता है। इसलिए हमें बाढ़ पर हर साल रोने से बचने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चाहे इसके लिए एक बार अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता पड़े लेकिन बार-बार की इस समस्या से तो छुटकारा मिले। इस प्रकार का कोई एक्शन प्लॉन भारत सरकार की ओर से बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जिन राज्यों में बाढ़ आती है केन्द्र की तरफ से उनको भी निर्देश देने की आवश्यकता है।

जब प्राकृतिक आपदा आती है तो इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वह देश के किसी भी कोने में रहता हो, वह जिस भी तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ती है अपनी तरफ से करता है। बड़े-बड़े शहरों में राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया जाता है और करोड़ों की राशि बड़े-बड़े शहरों में रहने वाली जनता से एकत्रित की जाती है। इसके साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारें भी करोड़ों रुपया इस काम पर खर्च करती हैं।

सभापति जी, स्पीकर साहब ने एक पत्र सभी माननीय सदस्यों को उड़ीसा के लिए एम.पी. लैड फंड से 10 लाख रुपये देने के लिए लिखा है। â€¦(व्यवधान) हम तो चाहते हैं कि जितने भी बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उन सभी को सहायता मिलनी चाहिए। सभापति जी, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले मांग आती है कि एम.पी. लैड फंड से सहायता दी जाये। इसलिए एम.पी. को दो करोड़ की राशि की जगह यह राशि तीन करोड़ की जाये। â€¦(व्यवधान)

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): In Tamil Nadu even that much amount is not given.

MR. CHAIRMAN : What do you want for Tamil Nadu?

SHRI ADHI SANKAR : Only Rs.77 lakh is given, per M.P. in Tamil Nadu. Rs. 6.00 crore must be given.

SHRI ANANT GANGARAM GEETE : The demand is for Rs. 6.00 crore.

MR. CHAIRMAN: For each M.P. there is only an amount of Rs.77 lakh per year.

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैंने एम.पी. लैड फंड का जिक्र इसलिए किया कि जब भी बाढ़ पर चर्चा करते हैं तो मांग आती है कि एम.पी. लैड फंड से दिया जाये।

अगर यह बढ़ जाता है तो बाढ़ पीड़ितों को और सहायता दी जा सकती है। अंत में मेरी मांग यही है कि सहायता उन सभी इलाकों को दी जाये जो बाढ़ से प्रभावित हैं।

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : Four hours have been allotted for this discussion. This discussion started at 4.18 p.m.

Is it the pleasure of the House to extend the time of the discussion till 8.18 p.m.?

SEVERAL HON. MEMBERS: It should be completed today. ...(*Interruptions*)

DR. M.P. JAISWAL (BETTIAH): Sir, it may be postponed to another day. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No. We have to complete the discussion today itself. The sitting of the House is extended till 8.18 p.m.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri Bal Krishna Chauhan, you can speak now.

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): सभापति महोदय, आज सदन में बाढ़ की समस्या पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय, बाढ़ की समस्या पूरे देश या प्रदेश के नागरिकों की न होकर यह केवल नदियों के किनारे बसे हुये नागरिकों की समस्या है। उसके बावजूद भीषण बाढ़ के जरिये पूरे देश में जन-धन की हानि होती है। सरकार इन सीमित कार्यों का आज तक स्थायी समाधान नहीं कर पाई है। इसके लिये काफी प्रयास की जरूरत है। बाढ़ के शाब्दिक अर्थ से महसूस होता है कि पानी की बाढ़ को बाढ़ कहेंगे लेकिन बाढ़ की अवधारणा में कटाव की धारणा निहित है जो बड़ी बड़ी नदियां मौनसून के मौसम के अलावा 12 महीने अपने किनारों को काटती है। इससे नदियो के किनारे बसे हुये हज़ारों गांव नदी में विलीन हो जाते हैं। इस समस्या के निदान के लिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये अलग से बाढ़ मंत्रालय बनाया जाये। बाढ़ से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास के लिये अलग से पुनर्वास विभाग बनाया जाये। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस संबंध में सरकार की जो पालिसी है कि..flood is an act of God. यह कहकर वह अपना पीछा इस समस्या से नहीं छुड़ा सकती। इसलिये इस समस्या का समाधान करना जरूरी है। इस समस्या के समाधान के लिये आज राट्रीय चिन्तन हो रहा है, उसमें कुछ चिन्हित स्थानों का उदाहरण देना आवश्यक है।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में घाघरा नदी है जिसके बारे में गत साल मैंने जल संसाधन मंत्रालय की बैठक में निवेदन किया था और बाद में भी निवेदन किया था। उस समस्या का उपाय करना तो दूर, उसके बारे में अभी तक मुझे कोई सूचना भी नहीं मिली कि उस पर क्या किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में कटाव के कारण, वहां दोहरीघाट एक ऐतिहासिक पौराणिक कस्बा है, जो आधा कटकर घाघरा नदी में विलीन हो गया है। मूसादोही गांव के निवासी बगल में फूंस की झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। इस कटाव का कारण यह है कि जो गाद जमा हो जाती है, नदी उसके बीच में रास्ता बदलती है। इससे वह किनारे के गांव काटती है। मैं एक रात मौके पर मौजूद था। एक भंयकर आवाज के साथ नदी किनारे काट रही थी। लोग इस डर के मारे रातभर सोते नहीं कि न मालूम कब उनका गांव नदी के कटाव में विलीन हो जाये। अतः मेरा निवेदन है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये कोई उपाय किया जाये। बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिये जहां बांधों के किनारे प्लेटफार्म बनाने की जरूरत है,

वहीं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो फंड केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से बांधों के निर्माण के लिए जाते हैं, पांच-पांच किलोमीटर बांध बनाये गये हैं, लेकिन उसमें दो-चार रेगुलेटर पांच-पांच मीटर की चौड़ाई में नहीं बन पाये हैं। जिसका नतीजा हम सबको मालूम है। लेकिन अफसर चाहते हैं कि बाढ़ बार-बार आती रहे और इसी तरह से फंड मिलता रहे। लगता है बाढ़ को रोकने के लिए जो बांध बनाये गये हैं, उसमें दो-चार स्थान जो रेगुलेटर के छोड़े गये हैं, उन्हें न बनाने से यह सोच पैदा होती है कि वे लोग बाढ़ को भीतर प्रवेश कराने का रास्ता खोजते हैं कि बाढ़ किसी तरह से भीतर प्रवेश करे और फंड आये। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो सरकार द्वारा करोडो रुपए के फंड जाते हैं, केवल दो-चार लाख के रेगुलेटर के अभाव में उन बांधों का उपयोग बाढ़ को रोकने में नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, बाढ़ और नदी के बीच में जो गांव हैं, उन्हें बचाने के लिए रिंग बांध बनाने की आवश्यकता है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार को बाढ़ के लिए कोई स्थायी नीति बनानी चाहिए, ताकि भविय में जन-धन की हानि से बचा जा सके। आज सौ किलोमीटर लम्बी घाघरा नदी के दोनों तरफ हजारों गांव कट रहे हैं और वर्तमान में भी कट रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करे और शीघ्र बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय का गठन करके स्थायी उपाय करे।

डा.रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, बाढ़ से देश में हर साल क्षति होती है, जान की बरबादी होती है, लोगों की जाने जाती हैं, गरीब मारे जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं। बाढ़ में उनके घर बह जाते हैं। किसान बरबाद होता है, उसकी फसल बरबाद होती है। बाढ़ में जानवर मारे जाते हैं। सरकारी सम्पत्ति की बरबादी होती है, सड़कें बरबाद होती है। इसे रोकने के लिए माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के सवाल उठा रहे हैं कि बाढ से हर साल होने वाली बरबादी को रोकने का कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। उसी संदर्भ में अभी हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उनके यहां भारी बरबादी हुई है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने हर माननीय सदस्य को मदद के लिए लिखा है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बाढ़ से इस साल बरबादी हुई है, बिहार में बरबादी हुई है, जहां रिलीफ बांटने और बचाव कार्य के लिए मिलिटरी का सहारा लेना पड़ा। बाढ़ से हर साल बरबादी होती है। सरकार के आंकड़े सरकार के कागजों में होंगे कि बाढ़ को रोके बिना अरबों की बरबादी हर साल होती है। जब बाढ़ खत्म हो जायेगी, तब केन्द्रीय सरकार की टीम रस्म अदायगी करने के लिए वहां जायेगी। हर साल का यही दस्तूर है। जब बाढ़ खत्म हो जायेगी, तब केन्द्रीय टीम जाकर कहेगी बताइये बाढ़ कहां हैं। बाढ़ आती है, बरबाद करके चली जाती है। बाद में उन्हें पता ही नहीं चलता है कि बाढ़ से बरबादी हुई है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री नवल किशोर राय ने कहा कि माननीय कृषि मंत्री आज ही स्वयं जाएं और हैलीकोप्टर से जाकर वहां देखे कि कैसे लोग छतों पर, मढ़ैया पर और बांधों पर रह रहे हैं। उनके घर-द्वार सब पानी में डूब गये हैं।

सभापति महोदय, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा को रोका जा सकता है। खासकर बिहार के लोग कहते हैं कि बाढ़ का कारण नेपाल से आने वाली अंतर्राट्रीय नदियां हैं। अंतर्राट्रीय नदियों से होने वाली बरबादी को रोकना क्या राज्य सरकार के बस की बात है। क्या वहां राज्य सरकार रिलीफ देने की हालत में हैं। दसवें वित्त आयोग के हिसाब से चार हिस्से में तीन हिस्से भारत सरकार के हैं और एक हिस्सा राज्य सरकार के जिम्मे दिया है कि रूटीन रिलीफ का काम राज्य सरकार करेगी। राट्रीय आपदा कोा में सौ करोड़ रुपया रखा था। इतना बड़े देश में कभी आंध्र प्रदेश में साइक्लोन, कभी उड़ीसा में साइक्लोन, कभी बाढ़ से बरबादी, कभी आग से हजारों घर गरीबों के जलते हैं। इन सबके लिए राट्रीय आपदा कोा में सौ करोड़ रुपये की राशि कितनी कम है। हमने उस समय बार-बार कहा था कि राट्रीय आपदा कोा को बढ़ाइये। नहीं तो जब हर साल बाढ़ आयेगी तो राज्य सरकार यह संदेश भेजती है कि उपाय नहीं है। रिलीफ का काम राज्य सरकार के बस का काम नहीं है, न उनके बस का बाढ़ को रोकना है, न वे रिलीफ पहुंचा सकती हैं, चूंकि उनके पास राशि नहीं है, उनके पास धनाभाव है।

इसलिए भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो बाढ़ से बरबादी होती है, भारत सरकार उसकी भरपाई करे क्योंकि ये अंतर्राट्रीय नदियां हैं। क्यों नहीं भारत का नेपाल से समझौता होता? अंतर्राट्रीय नदियों में राइपेरियन राइट्स होते हैं। नेपाल से नदियां आती हैं, वे हर साल उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों, सीमावर्ती हिमालय के तराई के इलाकों को बाढ़ से तबाह करती हैं। इसलिए दो तरह के काम की अपेक्षा हम भारत सरकार से करते हैं। पहला यह कि बाढ़ रोकने का स्थाई समाधान होना चाहिए। बाढ़ रोकने के लिए बिहार में 3400 किलोमीटर तटबंध अभी तक बनाया गया है। अरबों, खरबों रूपये खर्च किये गये लेकिन सन् 1947 में जितनी जमीन बाढ़ से बरबाद होती थी, अभी भी बाढ़ से उतनी ही बरबादी होती है। बाढ़ का समाधान तब भी नहीं हुआ। तात्कालिक और अस्थाई तौर पर तटबंध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है लेकिन स्थायी समाधान बाढ़ का वह नहीं है। तटबंध बनाने से कम क्षेत्र में बाढ़ आती है इसलिए माना जा सकता है कि तटबंध बनाने का सीधा लाभ है, लेकिन उसका सीधा लाभ नहीं पहुंचता है, उससे खर्च होता है, बरबादी होती है लेकिन लाभ नहीं पहुंचता है। इसलिए भारत और नेपाल के बीच समयबद्ध कार्यक्रम के तहत समझौता होना चाहिए।

अभी नेपाल के प्रधान मंत्री भारत आए थे। हम नहीं जानते कि उनकी इस संबंध में कोई बातचीत हुई या नहीं, लेकिन एक ठोस कार्यक्रम बनाकर भारत-नेपाल के बीच समझौता होना चाहिए जिससे अंतर्राट्रीय नदियों से जो बरबादी होती है, उसे दोनों देशों के सहयोग से रोका जा सके। पनबिजली के मामले में यदि नेपाल से सहयोग हो तो पनबिजली, जो सीमावर्ती इलाके में करनाली से लेकर गंडक, नुंथर और दूसरी नदियों में हजारों मैगावाट कैपेसिटी की पोटेन्शियेलिटी है, उसके लिए नेपाल से बाढ़ रोकने का और पनबिजली पैदा करने का समझौता नेपाल से हो सकता है जिससे दोनों देशों के लोगों का हित हो सकता है। इसलिए बाढ़ रोकने का उपाय भारत सरकार अपने हाथ में ले। राज्य सरकारों के पास उतना धन नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में वे सरकारें सक्षम हों। इसलिए भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राट्रीय आपदा कोा में वृद्धि होनी चाहिए। अभी हर राज्य की स्थिति के हिसाब से उसमें से एडवांस दे देते हैं। अखबार में बयान आ जाएगा कि सौ करोड़ रुपये की मदद दी लेकिन राज्य का जो हिस्सा है सेन्ट्रल असिस्टेन्स में, उसका ही एडवांस दे देते हैं। वह मदद नहीं है। कृषि मंत्री जी राट्रीय आपदा कोा के चेयरमैन हैं और विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री उसमें रोटेशनल सदस्य हैं। वह कमेटी बैठे और उसमें वित्त विभाग को कहा जाए कि राट्रीय आपदा कोा में खर्चा बढ़ाया जाए और विभिन्न राज्यों में जो बरबादी है, उसमें रिलीफ का काम होना चाहिए। अभी असली गंगाजी वाली बाढ़ आनी बाकी है। वह सितम्बर के अंत में और अक्तूबर के शुरू में आती है जब विजय दशमी का त्यौहार आता है। अभी तो गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, करेह, कोसी, महानन्दा, भुतही बालान जैसी छोटी-छोटी नदियों में बाढ़ आई है। यमुना जी की बाढ़ आ गई। हिमाचल बाढ़ से डूबा, अरुणाचल बाढ़ से डूबा, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में असम डूबा। गंगाजी की बाढ़ सबसे अंत में आती है। इसलिए इस आगामी बाढ़ से निपटने के लिए भी सरकार को कमर कसनी चाहिए। बाढ़ का जो पानी आएगा तो पानी नहीं निकलेगा, जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 8 लाख हैक्टेयर जमीन उत्तर बिहार में और 1 लाख हैक्टेयर जमीन माननीय कृषि मंत्री जी के क्षेत्र मोकामा में, कुल मिलाकर 9 लाख हैक्टेयर जमीन बिहार में जल-जमाव से प्रभावित होती है। गंडक फेज़- II , और कोसी फेज- II जिसमें जल-जमाव से समाधान का रास्ता निकाला गया था, उस पर भारत सरकार बैठी हुई है।

सभापति महोदय, वहां के सिंचाई मंत्री, यहां के कृषि मंत्री के मित्र हैं और भारत सरकार ने बिहार सरकार से लिखापढ़ी के बहाने वह फाइल दबाकर रखी है जो सिंचाई

विभाग में लंबित है। उसकी क्लीयरेंस यहां से नहीं मिल रही है। यहां जो मदद की बात कही जा रही है, राज्य सरकारों की मदद कैसे होगी, जब ये क्लीयरेंस नहीं देते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन यहां उसको रोक रहा है। हमारे यहां बाढ़ से बरबादी होती है। भारत सरकार को उपाय करना चाहिए। नेपाल से समझौता करने का काम है, वह भारत सरकार का है न कि बिहार सरकार का। उसको भी आप कह दीजिए कि बिहार सरकार कुछ नहीं करती है। इसमें तो भारत सरकार को ही पहल करनी होगी। प्रदेश सरकार थोड़े ही नेपाल सरकार से बात करेगी। बिहार में बाढ़ से जो विनाशकारी लीला होती हैं वे नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण होती हैं। मेरा सुझाव है कि जितनी बाढ़ से बरबादी होती है, उसके निदान का काम भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। जो जल जमाव की समस्या है उसके लिए भारत सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए। कोसी फेज-दो और गंडक नदी के फेज-दो की योजनाएं कहां खो गईं?

सभापति महोदय, बाढ़ के कारण हमारे यहां बहुत सी सड़के टूट गई हैं। सीतामढ़ी-मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी-सिंहुर देश-दुनिया से कट गए हैं। इसलिए वहां हैलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। अनाज और भोजन के पैकेट हैलीकॉप्टर से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पैकेट को लेने के लिए बहुत धक्का-मुक्की होती है। मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री की सहायता लेनी पड़ गई है। पश्चिमी चम्पारण और पूर्वी चम्पारण, सीवान, मधुबनी, जिला दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर का हिस्सा, दरभंगा का हिस्सा आदि सभी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और बागमती नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, सभी ने बाढ़ से तबाही मचा रखी है। इस सबका इंतजाम भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

सभापति महोदय, भारत सरकार को बाढ़ रोकने का काम ठीक प्रकार से करना चाहिए। बिहार में 1100 करोड़ रुपए की बरबादी हुई है, सड़कें चौपट हो गई हैं, उनकी मदद नहीं हो सकी है। राज्य सरकार हर बार योजना बनाकर देती है और बताती है कि बाढ़ से इतनी बरबादी हुई है, लेकिन उसके अनुरूप सहायता नहीं दी जाती है। मेरा निवेदन है कि सेंट्रल टीम भेजकर उसकी मानिटरिंग कराईए। यदि कहीं ब्यूरोक्रेट गड़बड़ी करते हैं, तो उनको भी धमकाइए और उनके ड्रयंत्र को सफल मत होने दीजिए। गरीब जनता बाढ़ की वजह से बहुत दुखी है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मंत्री प्रयत्न करें और बाढ़ से हो रहे विनाश से बिहार को और देश के अन्य हिस्सों को बचाएं।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा) : सभापति महोदय, बिहार में बाढ़ की विभीषिका पर माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने बहुत विस्तृत तौर से अपनी बात रखी है और मैं उनसे सहमत हूं, भले ही उनके बोलने की शैली चाहे जिस प्रकार की हो। उन्होंने जो वर्णन किया है और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से हुई बर्बादी पर जिस तरह चिन्ता जताई है, वह सही है।

सभापति महोदय, मैं इस विषय पर लोक सभा की लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने एवं कुछ तथ्य इकट्ठे करने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने पाया कि विगत वर्षों में प्राकृतिक विपत्तियों, बाढ़ या सूखे के ऊपर इस सदन में 20 बार चर्चा हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ का मौसम होता है, सदन में चर्चा होती है, सूखे का मौसम होता है, तब बजट सैशन के बाद इस सदन में चर्चा होती है और किसी न किसी बहाने से हम सब लोग मिलकर इस विषय पर चर्चा करते हैं। जो समय इस पर लगता है, जो बहस होती है, यदि आप इस विषय पर 1974 में हुई बहस को उठाकर देखें, तो आप पाएंगे किâ€¦(व्यवधान)

मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बड़े दुखी मन से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमारे संसदीय कार्य मंत्री, जैसे ही इस विभीषिका की चर्चा होती है, तुरंत इस चीज की लिस्ट करने में एक क्षण भी नहीं लगाते । मैं कुछ मूल प्रश्न इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि इस बाढ़ के नुकसान का सिलसिला आखिर इस देश को कब तक झेलना पड़ेगा? एक तरफ यह चर्चा होती है कि बाढ़ की विभीषिका एक प्राकृतिक विपदा है। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि यह एक प्राकृतिक विपदा है और इस प्रकार की विपदा प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न रूप में देश के विभिन्न प्रांतों में आती है लेकिन कहीं न कहीं इसके साथ कुछ एक चर्चा भी जोड़ने की आवश्यकता है। जिस चर्चा की तरफ मैं ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं, इस सरकार के जो माननीय मंत्री बिहार से हैं, लगता है, वे दो चार मिनट में आ जायेंगे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा भाषण होगा। आज के भाषण की चर्चा हमारे कुछ क्षेत्र के लोग सुनेंगे, जो लोग सदन में बैठे हैं, वे सुनेंगे और चर्चा यहीं समाप्त हो जायेगी। हमें संतुष्टि हो जायेगी कि हमने इस विभीषिका पर अपना वक्तव्य दे दिया और सरकार भी इस संदर्भ में प्रत्येक वर्ष की तरह रह जायेगी। लेकिन बाढ़ की विभीषिका को अगर दर्शन के रूप में देखा जाये, पता नहीं हमारे में से कितने लोग जो इस सदन में बैठे हैं, उनमें से बहुत लोग यहां नहीं होंगे जिन्होंने बाढ़ को देखा होगा।

मुझे याद है जब मैं गंगा से सटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गया था। मैंने देखा कि एक भैंस और उसके ऊपर एक बच्चे को एक बूढ़ा आदमी धक्का देकर ले जा रहा था। दूर का दृश्य था, हमने सोचा कि इसे बचाया जाये और नाव उसकी तरफ ले गये। हमने देखा कि भैंस भी मरी हुई थी और उसका बच्चा भी मरा हुआ था लेकिन उस बूढ़े इंसान को यह विश्वास था कि वह बच जायेगा इसलिए वह किसी तरह से उसको पकड़कर नदी के किनारे ले जाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार की कई घटनायें देखने को मिलती हैं। जब बाढ़ आती है तो छोटे-छोटे बच्चे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और उसी वृक्ष पर जहां एक कोने में वह सटे रहते हैं, दूसरे कोने में एक सांप लटका होता है। यह सब दृश्य औसतन बहुत बार देखने को मिलता है। बाढ़ के समय, बाढ़ के बाद न जाने कितने लोग सांप के डर से मरते हैं और यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। जिस तरफ मैंने कई बार इस सदन में चर्चा केन्द्रित की है, उस तरफ शायद सरकार का भी ध्यान नहीं जाता और न ही सरकार की इच्छा है कि इस तरफ कोई ध्यान आकृट किया जाये। पर्यावरण के संतुलन में जो असंतुलन पिछले 25,30 या 40 वर्षों में होता आ रहा है, शायद एक यह भी मुख्य कारण है जिसके कारण, बाढ़ का प्रभाव क्षेत्र इस देश में बढ़ता जा रहा है। औसतन हम मानकर चलते हैं कि किसी भी भू-भाग का 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। आज विश्व के पैमाने पर चर्चा न करें तो हिन्दुस्तान के पैमाने पर मात्र 22 प्रतिशत वन भूमि रह गयी है और जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई हो रही है, जिस प्रकार से पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है और जिन भागों में हम वर्षा की उम्मीद नहीं करते, बचपन में रेगिस्तान की बातें सुनते थे, राजस्थान की बात सुनते थे तो लगता था कि पूरा अकाल का क्षेत्र है, वहां पानी नहीं है। लेकिन आज तो हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान और पंजाब में भी बाढ़ की सूचनायें मिलती हैं। फ्लैश फ्लड आते हैं, कहीं न कहीं पर्यावरण के असंसतुलन के कारण ये प्राकृतिक विपदा बढ़ती जा रही है।

नेपाल के संदर्भ में मेरे माननीय सदस्य ने चर्चा की है। नेपाल सरकार का अर्थतंत्र बड़ा कमजोर हैं। पिछले 50 वर्षों में हमारी जानकारी क्योंकि हमारा वह पड़ोसी देश है, जिस प्रकार से उसके ऊपर क्षेत्र में, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हो रही है, उस कटाई का परिणाम है कि ऊपरी क्षेत्र में जब बारिश होती है तो रेत के साथ प्रवाहित होता हुआ जल बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। रेत का प्रवाह इतना ज्यादा है कि नदी का जितना भूग्रहण है, वह आहिस्ते-आहिस्ते भरता गया है और सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उस भूग्रहण क्षेत्र से रेत को बाहर निकाला जाये। अगर नेपाल के क्षेत्र में भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर संधि करे और आज वृक्षारोपण की कार्रवाई वहां शुरू की जाये तो हो सकता है कि 40 वर्षों के बाद जब ऊपरी क्षेत्र से बारिश होती है, जब बादल वहां फटता है और जिस प्रकार से पानी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उसका किसी भी प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश में हम नियंत्रण नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत से विषय हैं। मैं इसलिए इस विषय पर सदन का ध्यान आकृट करना चाहता हूं कि आखिर में सरकार को किस पैमाने पर इस विषय की जटिलता को समझते हुए निराकरण करने का प्रयास करना पड़ेगा।

मात्र साधन मुहैया कर देने से इस कार्य का सम्पादन नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी पूरी बुद्धि, विवेक से सभी तकनीकी विशेज्ञों को अपने साथ जोड़ कर इस विषय पर एक विस्तृत और वृहद पैमाने पर कोई योजना तैयार नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं को संयंमित करना संभव नहीं हो पाएगा।

मैं इन शब्दों के साथ सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि प्राकृतिक विपदा को किसी न किसी रूप में संयमित करने का, इसे रोकना यदि तत्काल संभव न हो, जिन नदियों के बांध टूटे हुए हैं या कई क्षेत्रों में जिस प्रकार नदियों का प्रवाह बदलता जा रहा है, जिस प्रकार गांव के गांव नदी में कट कर गिरते जा रहे हैं, जिस प्रकार

्बाढ़ के ्बाद पानी का जमा्व ्बना रह जाता है, ्यह व्िस्तृत व्िा्य है ज्िस पर व्िस्तृत चर्चा करके, खा्स तौर ्से ्सरकार को इ्सकी तरफ अपना ध््यान केन्द्रित करके, एक ऐ्सी ्योजना ्बनानी चाहिए ताकि आने ्वाले दिनों में इ्से हम रोक न ्सकें तो कम ्से कम लोगों को राहत अ्व्श्यै दे ्सकें। ज्य हिन्द।

SHRI BIJOY HANDIQUE (JORHAT): Mr. Chairman, Sir, it has been a monsoon ritual for us to give a catalogue of sufferings of men and animals on the floor of the House. Come monsoon, the rivers are in mad fury, washing away crops, houses, cattle and humans too. By the time the Monsoon Session is over, the monsoon too, enters in its petering away stage and the ritual is talked out, at least, passes into the wordy proceedings of the House.

This has been going on for so many years. Unless some serious thinking is done by the Government, I am afraid, it will end up as an eternal exercise in futility.

Coming to the flood havoc, I will not reel off a long list of damages that have been caused. It is now the third wave that hit Assam and the North-East. This region is cut off from the rest of the country, for the last couple of days. Three waves of floods since April have affected about 26 lakhs of people in 16 districts of Assam and nearly 25 people had lost their lives.

This year itself, there are 54 breaches on the embankments. The third wave, which started last week, so far affected nearly 3000 villages in 16 districts, inundating three lakh hectares of land, damaging a crop area of 1,23,569 hectares. While the situation is improving in a few districts, it continues to remain grim in the other ten districts. The water level of Brahmaputra and its tributaries continue to flow above the danger mark in Darrang, Dhubri, Lakimpur, Jorhat, Goalpara and Morigaon districts. Road and rail communication in most of these districts also continue to remain disrupted as sections of rail tracks and highways still remain under water. Dibrugarh is one of the biggest towns of Assam, is exposed to erosion and erosion is posing a serious threat to this city. This has been going on for the last so many years without any effective measures.

The second wave that hit in June end, was equally severe, and Lakimpur and Dhemaji were the worst affected districts. In Dhemaji official release said that 38,840 persons of 64 villages had been affected, while in the Dhakuakhana sub-division of the Lakimpur district alone, so far 116 villages with a population of over 28,000 had been hit. Altogether, on the state 4,82,220 people of 1428 villages were affected in the second wave.

So, this is in nutshell, flood depredations caused by three waves. We have two more months to go till the monsoon goes away; and we may have at least two more waves in the course of the next two months.

Recently, in reply to a question, the hon. Minister of Agriculture has stated that an amount of Rs. 37 crore were released to Assam for various measures. The hon. Minister justified this meagre allocation on the plea that over 4560 kms. of embankments and 945 drainage channels have already been constructed in Assam. Without disputing the figure at the moment, may I ask in a span of how many years? Not less than 15 or 20 years. But construction of embankments and drainage channels is not all. These need to be annually repaired and maintained. For every year, flood or no flood, the turbulent currents of the rivers keep attacking the embankments. Now, the entire embankment of the river Brahmaputra is dotted with erosion points and vulnerable points. Funds made available for repair and maintenance over the years are scanty. So, flood and erosion are inevitable.

Sir, I would like to cite a typical case of Government bungling. Erosion at Nemati poses a threat to a premier town of Assam, Jorhat. In 1992 at my initiative, the work on preparing a scheme was started by the District Flood Control Department. In 1994, it was finally prepared at an estimated cost of Rs. 32 crore. Then it was sent to Pune Laboratory by the Ministry of Water Resources for further investigation and checks. It was cleared by the end of 1995. Since it was then too late to be taken up on Central Government assistance, the then Government were advised by the Planning Commission to initiate the project on Central Government loan assistance scheme assuring that such scheme could always be later converted into a Central Government Assistance Scheme, that is 90 per cent Central grant and 10 per cent State's own fund. The Planning Commission even released Rs. 1 crore for starting the work. The work started by the end of 1995. Then came the 1996 elections. As soon as the elections came, the work was stalled. Till today the present State Government could not spend that Rs. 1 crore fully. Nor did it ask the Central Government for conversion of this scheme into Central Assistance Scheme. Instead this amount is converted into revenue deposit. This is how causes of flood persist.

Mr. Chairman, Sir, you must have heard about Brahmaputra Board. It has not done any meaningful research so far. Let me narrate the second case. Diroi Drainage scheme was proposed for Sivasagar district. This scheme has been baffling the engineers of the Board. They have no solution to it. I accompanied the engineers to the site also for investigation. But till today there is no plan for that.

Again, there is an incisive erosion point on the embankment of river Dehing at LIBIL in Sivasagar district. It threatens the surrounding tribal villages. As no funds are available, no work could be done. So, flood and erosion

are inevitable and naturally people have to suffer.

I conclude by saying that in the last year's Budget less than Rs. 100 crore were allocated to the water resources Ministry as against the Shukla Commission's recommendation of Rs. 50,000 crore for the next 50 years. Shukla Commission was constituted in 1997 to process the Prime Minister's package for implementation. It may take more than fifty years may be 60 or 70 years. But we have to make a beginning. At some point of time we have to make the beginning. Otherwise, history will not forgive us.

I do hope that the Government will look into my suggestions, particularly the one relating to Brahmaputra Board and see to it that meaningful research is done there.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, बाढ़ के विय पर सदन में चर्चा चल रही है। यह चर्चा कोई पहली बार नहीं हुई है। हम लोग तो बहुत कम दिनों से इस सदन में हैं। इस तरह की चर्चा सदन में पहले भी होती रही है। सरकार के उत्तर भी उस पर आते हैं। बाढ़ की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। लगता है एक परम्परा सी बन गई है, क्योंकि बाढ़ का भी सीजन होता है। जब वह सीजन आता है तो सदन में चर्चा चलती है और सरकार की तरफ से उत्तर आता है। अगर सरकारी उत्तरों को देखा जाए तो मैं यह महसूस करता हूं कि जो उत्तर एक बार आता है, मंत्री जी जो उत्तर देते हैं, शब्दों का हेरफेर करके वही उत्तर लगातार देते रहते हैं। मुझे लगता है इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आज बाढ़ से बहुत से राज्य प्रभावित हैं। अभी एक साथी असम की चर्चा कर रहे थे। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम है। पिछली बार भी सदन में बिहार की बाढ़ की चर्चा हुई थी। सम्पूर्ण उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। यहां तक स्थिति बनी हुई है कि लाखों परिवार बाढ़ से घिरे हुए हैं। वहां कोई साधन सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराए गए हैं कि उन लोगों को या उनके मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, जिससे उनकी रक्षा हो सके।

रघुवंश बाबू एक बात ठीक कह रहे थे। सरकार के उत्तर किसी भी विभाग के हों, यही सुनने को मिलता है कि यह राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार अपने स्तर पर इस मामले में कार्यवाही करेगी। लेकिन बिहार की बाढ़ का जो मामला है, कुछ मामलों में बिहार बड़ा खुशहाल है कि वहां कई पवित्र नदियों के दर्शन होते हैं, जिनके चलते पूरा उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का कुछ हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका आती है। आज उत्तर बिहार में बेतिया, मोतीहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और गोपालगंज आदि कई जिले खासकर प्रभावित हैं। इनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि इसका वर्णन वही कर सकता है जो उस पीड़ा से पीड़ित हो। कहने और सुनने में यह मात्र भाषण का क्रम बनता है, लेकिन उस पीड़ा को जो नजदीक से भोगता है, वही बता सकता है। पिछली बाढ़ के समय जय प्रकाश जी का गांव सिताब दियारा जो गंगा और सरयू के संगम से घिरा हुआ है, उसके आसपास के छः गांव बाढ़ से पानी के कटाव में विलीन हो गए थे। उस गांव में भी भारी बाढ़ आई थी। हम लोग भी बाढ़ को देखने गए थे। हमने देखा कि सरयू नदी के किनारे एक झोंपड़ी में एक के ऊपर एक, तीन चौकी रखी हुई थी और उस पर एक चार साल का बच्चा सुलाया गया था। उस झोंपड़ी में भी कुछ पानी बह रहा था। हमने पूछा कि कैसे हिम्मत की इस बच्चे को यहां रखा है तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया की कृपा पर सब कुछ छोड़ देते हैं। इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है। पुरूा और औरतों को नित्य क्रिया के लिए बांस गाढ़ कर और उस पर बांस बिछा कर जाना पड़ता है। उस पीड़ को महसूस करने की जरूरत है। जब सी.पी. ठाकुर जी सिंचाई मंत्री थे, हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप चल कर वहां की कठिनाई को देखें।

वह लोक नायक का गृह स्थान है। आज लोक नायक के नाम पर सारे लोग राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं। बिहार में जो सरकार चलती है, कहा जाता है कि यह लोक नायक के पूर्वज के रूप में है लेकिन लोक नायक के गांव पर किसी ने कभी भी नजर उठाने का काम नहीं किया। डा. सी.पी.ठाकुर अपने विभाग के पदाधिकारियों को लेकर वहां सरयू नदी के किनारे गए थे और अपने विभाग के पदाधिकारियों से समीक्षा भी करवाई थी। पहले से विभाग ने एक नक्शा बनाया हुआ था। पदाधिकारियों ने बहुत कम लागत बताई थी। पदाधिकारयों ने कहा था कि लगभग तीन करोड़ रुपये में यह सितावदियर गांव बच जाएगा। डा. ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि हम सीधे प्रधान मंत्री जी से बात करेंगे। यह लोकनायक के गांव को बचाने का सवाल है। बिहार सरकार के कार्यों पर शंका करते हुए कहा था कि हम इस बांध और इस गांव की सुरक्षा के लिए सीधे माननीय प्रधान मंत्री जी से इज़ाजत मांगकर काम करवाना चाहेंगे। संयोग से, यह गांव का दुर्भाग्य है कि डा. सी.पी.ठाकुर जी का विभाग बदल गया। नये मंत्री अर्जुन सेठी जी यहां मौजूद हैं। हमने व्यक्तिगत तौर पर मिलकर और पत्र लिखकर भी उस गांव के संबंध में चर्चा की थी। डा. ठाकुर के भ्रमण और उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के बारे में सेठी जी की तरफ से कौन सी कार्रवाई की गई है, मुझे मालूम नहीं है। हमें विश्वास है कि सेठी जी इस संबंध में अपने उत्तर में निश्चित तौर पर हमें जानकारी देंगे।

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। हम पार्टी के प्रथम और अंतिम वक्ता दोनों हैं। हमें विश्वास है कि सेठी जी आज अपने उत्तर में यह बताएंगे कि सितावदियर गांव की सुरक्षा की व्यवस्था गारंटी से जरूर करेंगे ताकि सितावदियर गांव भविय में इस पीढ़ा को नहीं झेले। उत्तर बिहार के कुछ गांव, चूंकि कृषि मंत्री जी को आज उत्तर देना है, इसलिए हम उनकी नॉलेज में यह लाना चाहते हैं कि यह गांव सिर्फ बाढ़ से ही पीड़ित नहीं है, बल्कि बाढ़ से और पानी के जमाव से भी काफी पीड़ित रहा है। छपरा, सिवान और वैशाली जिले का बहुत ज्यादा हिस्सा जल जमाव से पीड़ित रहा है और इस पर बहुत ज्यादा लागत की जरूरत नहीं पड़ती। उस जल की निकासी के साधन भी हैं। किसी तरफ से नारायनी नदी गुजरती है, किसी तरफ से सरयू नदी गुजरती है और कहीं से गंगा नदी गुजरती है। अगर चाहा जाये तो उसके जल को इन नदियों में गिराया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार तो, रघुवंश बाबू आप बुरा नहीं मानिएगा। हम कोई आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन बिहार की राज्य सरकार तो चौपट है। उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम पहले से ही कह देते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : भारत सरकार की भी देख लेते है कि कितनी ताकत है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : रघुवंश बाबू बोल रहे थे तो कह रहे थे कि बिहार के सिंचाई मंत्री जी कृषि मंत्री जी के मित्र हैं। ठीक ही कह रहे थे लेकिन पहले वाली मित्रता नहीं है। कुछ कांटछांट है। बिहार के सिंचाई मंत्री जी को इस बात का बहुत ज्यादा भ्रम है कि इस विश्व के वही सबसे ज्यादा जानकार आदमी हैं और इस भ्रम में भी बिहार का बहुत सा नुकसान हो जाता है। रघुवंश जी, आप इस बात को मानेंगे कि इंजीनियर्स वहां उनके पास प्रकलन लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि गलत है। अगर वह सही जानते हैं तो सही बनवा दें। इस गलत और सही में, बांधों का रख-रखाव और सुरक्षा का काम भी बिहार में नहीं हो पाता है।

बिहार के इंजीनियर्स के विय में मैं कहूंगा कि जब वहां बाढ़ आती है वह उनकी कमाई का एक साधन बन जाती है। आप आश्चर्य करेंगे कि बिहार में जब बाढ़ आती है तो मूंज से होकर बांध में पानी घुसता है, बिहार में बांध टूटता है और गांव का गांव बर्बाद हो जाता है। किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आप यह सब जानते हैं। हमारे बताने से ही आप जानेंगे, यह सवाल भी नहीं है। आप कम जानते हैं, यह सवाल भी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि बिहार की पीढ़ा को वही दूर कर सकता है जिसकी इच्छाशक्ति होगी। आज हमें बाजारों में बिहार के बारे में तरह-तरह के कमेंट दिये जाते हैं। यहां तक कमेंट दिया जाता है और एक पत्रकार ने कहा था कि बिहार के लोग कंगाल और भिखारी हैं। बिहार के लोग पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ हमें दे दो और यह परिस्थिति उत्तर बिहार में इसलिए आई कि उत्तर बिहार बाढ़ और जल-जमाव से प्रभावित है।

उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, नहीं तो हम उस कलम बेचने वाले व्यक्ति को, जो बिहार के बारे में इस तरह के कमेंट करता है, बता देना चाहते हैं कि बिहार में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायें और बिहार की जमीन में उर्वरा शक्ति है, ऐसी स्थिति में केवल उत्तर बिहार पूरे हिन्दुस्तान को छः महीने का भोजन दे सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि बिहार की सरकार बाढ़ जल निकासी

के लिए कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप कुछ करने की स्थिति में हैं, तो इस दिशा में आप कदम उठाइए। बिहार सरकार को आप जो भी पैसा देते हैं, वह सब घोटाले में चला जाता है। इस बात को आप जानते हैं, इसलिए मेरी मांग है कि आप एजेंसी बदलकर और नेपाल सरकार से वार्ता करके इस समस्या पर नियन्त्रण पाने का प्रयास कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

<u>श्री जोवाकिम बखला</u> (अलीपुरद्वारस) : सभापति महोदय, सदन में बाढ़ की समस्या पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसलिए सर्वप्र थम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, मैं दो दिन से इन्तजार कर रहा था कि इस चर्चा में मैं भाग ले सकूं और आज मुझे बोलने का मौका मिल गया। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। इस क्षेत्र में विशेकर रेडक-I, संकुश, तुरसा, बसरा दीमा, कालजनी, दैना आदि नदिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। जाईगांव नाम का एक गांव बाढ़ की वजह से बरबाद हो चुका है। नदी का पानी इस गांव को ले डूबा है। इस क्षेत्र के बीस चाय-बगान पानी में डूब गए हैं। इन चाय बगान से केवल राज्य सरकार को ही नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी रेवेन्यु मिलता है। बसरा, दीमा, देना, हंसीमारा नदियां

<u>18.47 बजे</u> (उपाध्यक्ष महोदय <u>पीठासीन हुए)</u>

भूटान देश से हमारे देश में आती हैं। भूटान में डोलोमाइट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वा अधिक होने से मिट्टा में कटाव हो रहा है और बाढ़ के साथ रेत तथा पत्थरों का जमाव यहां हो जाता है। इन चीजों के जमाव के कारण नदी की सतह राइज़ कर जाती है और फिर नदी का पानी बाढ़ का रूप लेकर गांवों को क्षतिग्रस्त कर देता है। चाय-बगान नट कर देता है और हजारों घरों को बरबाद कर देता है। बाढ़ से एक लाख 38 हजार लोग पीड़ित हैं। भूटान से बाढ़ जब हमारे देश में आती है, तो हिन्दुस्तान में भूटान के लोगों की लाशें और सामान मिलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इंडो-भूटान-ज्वाइंट-रिवर कमीशन का गठन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है, माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी बताना है कि जलधा का हाइडल प्रोजैक्ट भी इस बाढ़ की वजह से खतरे में पड़ गया है। इसलिए मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से नि वेदन करूंगा कि आप इसका खुद जाकर सर्वेक्षण करें और समीक्षा करें। जो हानि हुई है उसके लिए आप राहत को से उन्हें राहत देने का प्रबंध करें और इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप लोग सोचें। परमानेंट सोल्यूशन एक ही हो सकता है,

â€¦(<u>व्यवधान</u>) इंडो-भूटान ज्वाइंट रीवर कमीशन का गठन करना चाहिए।â€¦(<u>व्यवधान</u>)

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : महोदय, मैं सदन का ध्यान इस और आकृट करना चाहता हूं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वि‍ाय पर बहस प्रारम्भ हुई है। बाढ़ से प्रतिवा देश के अनेक भागों में नुकसान होता है। जहां बाढ़ से नुकसान होता है वहीं पर कई बार ऐसी घटना घट जाती है, जिसके कारण, कई वाँ से जो प्रदेश का विकास हुआ होता है उस पर पानी फिर जाता है। ऐसी घटनाएं कई प्रदेशों में घटी है। अभी हाल ही में, हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की घटना हुई। अनुमानत: 2000 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुआ है। मैं समझता हूं कि इस नुकसान के कारण कई वा हिमाचल प्रदेश को उबरने में लगेंगे। नुकसान कई तरह का होता है, जैसे वहां नेशनल हाईवे टूट गया जिसके टूटने से वहां दूरसंचार व्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो गई। लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे पीने का पानी, स्कूलों के कमरे - सारे ध्वस्त हो गए हैं।

महोदय, बाढ़ के कारण जो नुकसान होता है, इसका अनुमान भी ठीक-ठीक लगाना कठिन होता है। मैं समझता हूं कि ऐसी वि‍ाम स्थिति में जब हिमाचल प्रदेश का बहुत भारी नुकसान हुआ है, जहां बाढ़ के कारण कुछ प्रदेशों में नुकसान होता है, उसमें जो पहाड़ी प्रदेश हैं, उनकी तरफ भी मैं विशे ध्यान आकृट करना चाहता हूं। पहाड़ी प्रदेशों के ऊपर पर्यावरण संतुलन का दायित्व है। वे अपने पेड़ों को काट नहीं सकते। जब उन प्रदेशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके कारण भी कई बार पेड़ों का कटान भी होता है। इस कारण भू-क्षरण बढ़ता है और वहां बाढ़ की विभीिका बार-बार आती है। इसीलिए देश के हित में वे लोग अपनी कुर्बानी देते हैं। देश का पर्यावरण संतुलन ठीक रहे, इसके लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देश के विकास में देते हैं। मेरा निवेदन है कि पहाड़ी प्रदेशों के लिए केन्द्र से अधिक बजट का प्रावधान होना चाहिए ताकि वे पर्यावरण संतुलन के अंदर ठीक ढंग से योगदान दे सकें और देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। जहां इस तरह का दायित्व इन प्रदेशों पर है, वहीं पर इन प्रदेशों की अपनी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वे इस नुकसान को अपने संसाधनों से पूरा कर सकें। मुझे लगता है कि पहाड़ी प्रदेशों के लिए अलग से ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए ताकि जो ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिनको बाढ़ से जोड़ा जाए या न जोड़ा जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं जो कभी-कभी घटती हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान करती हैं, इन वि‍ायों को थोड़ा अलग रख कर इनके साथ न्याय करने की जरूरत मैं समझता हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ऊना जिले में 73 छोटी-छोटी नदियों में हर साल बाढ़ आती है और उस बाढ़ से जिले के किसानों की काफी भूमि बह जाती है। उस क्षेत्र में बहुत वाँ से यही क्रम चला हुआ है, जिसके कारण किसान बहुत पीड़ित हैं। पिछले दिनों जल संसाधन मंत्रालय की स्वीकृति से एक योजना बन कर तैयार हुई है।

महोदय, उस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये के प्रावधान की जरूरत है। अगर केन्द्र सरकार मदद करे तो उस जिले का जहां बाढ़ से बचाव होगा वहीं वह अन्न का उत्पादन करके देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकता है।

उपाध्यक्ष जी, हिमाचल में जो भयावह घटना घटी है, उसका वर्णन हमारे माननीय महेश्वर सिंह जी ने विस्तार से किया है। आज हिमाचल प्रदेश को अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है। जहां दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है वहां के लिए कम से कम पांच सौ करोड़ रुपया सहायता के रूप में मिलना चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और कृि मंत्री जी का आभारी हूं कि 100 करोड़ रुपया उन्होंने तत्काल दिया जिससे हिमाचल प्रदेश में लोगों को सुविधा मुहैया कराने में सरकार को सहायता मिले।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आवश्यक सहायता हैलिकोपटर्स द्वारा पहुंचाई जा रही है, उसके खर्चे को भी अगर केन्द्र सरकार वहन करे तो अधिक उचित होगा।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार और अधिक सहायता दे, जिससे उस प्रदेश में जो लोगों की जान और

माल का नुक्सान हुआ है, उसमें उन्हें राहत मिल सके।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset, I must convey my thanks to the Government that in spite of various setbacks, the Government has agreed to start this debate. Also, all the political parties have, in the wisdom of the hon. Speaker and in the wisdom of your goodself, decided to start this debate in the House.

Our area Arunchal Pradesh in the North-Eastern region is facing the worst ever flood that it faced in its history so far. People have been cut off from the rest of India. There is a feeling in that area that the Government of India renders service to other parts of the country in a devastating flood like this but it is not rendering the service in the case of the North-East. I do not know how far it is true. I do not threaten you. We have two Ministers here − Shri Nitish Kumar and Shri Arjun Sethi. They are from the grass-root level. In my area, people are in the lowest economic level. They are out of touch from the mainstream now. Their road connection is the only connection. They have no train connection. Air connection is also very irregular. Considering these things, I would make a suggestion. As one of the Members of Parliament from the North-Eastern region of India, I would request that a team must go there, evaluate the situation and take appropriate steps in this regard. Please do not forget that Arunachal Pradesh is the only State in the North-Eastern region where not a single terrorist outfit is there. They are in the national mainstream. The number of people affected by *goondaism* and threats is minimum. If you go to the jails in Arunachal Pradesh, you can hardly see any culprit there. So, we should encourage the people of Arunachal Pradesh.

We have been trying − with the help of Shri Dasmunsi, with our leader and others − to bring this subject before the House for a discussion. I have seen the agony of the people of Arunachal Pradesh.

Shri Nitish Kumar and Shri Arjun Sethi, recently I read one of the newspapers. The point is that the Chinese delegation came to India and had some discussion about the rivers and other things. They have agreed to share some data which are not available with us about the *Brahmaputra* river. The Government of India is trying to tame the *Brahmaputra* river. As my colleague Shri Bijoy Handique has said, we have not one or two but three floods in a year. The river *Brahmaputra* has become a river of sorrow. It washes away bridges, roads, houses. crops, animals and what not. There was a time when the Government of India used to help us a lot. But because of the changed situation, probably not only in respect of Assam but also in respect of the entire country, the Department of Drainage and Embankment is getting minimum help now.

19.00 hrs.

In my own constituency, Silchar, there are as many as 120 bridges which are damaged in the last six years. Nothing has been done. Same is the condition in Karimganj, Hailakandi, and Barak Valley which is known as a land of peace. We go to the Government of Assam but it says that no money is available. There are many bridges which have been broken. No repair work has been done. We have been doing some work on the roads with the money we get from the World Bank, the NABARD, and from the MPLAD Scheme. But how long can we continue like that? Previously, we used to get assistance from the Flood Damage Fund. Now, it is not coming.

I can name Jhanger Valley in this regard. Here, women go by river, come by river and again go by river and then go to their houses. Sunapur, 32 Number Circle, Sonai, Borkhola − everywhere this is the situation. The Government of India is having a financial crisis, I know that. The present situation is existing all over the country. Something has to be done. I understand that the World Bank may come forward to help to tame the Brahmaputra. We should draw a Master Plan in collaboration with China because the source of the Brahmaputra is China. Now, our relations with China have improved a lot. I would humbly request the Government that some steps have to be taken in that respect.

The Silchar-Shillong Road is our lifeline. Shri Nitish Kumar has gone there. This is not in use for the last 15 days because of landslides. I would urge Shri Nitish Kumar or Shri Arjun Sethi to send a note to the Border Roads Organisation to complete the work on a war-footing. This road carries the traffic to Mizoram, Manipur, Tripura, and Barak Valley of Assam. I have been in touch but unfortunately the progress is not very good. So, I would request the hon. Minister to kindly send a note to the Border Roads Organisation to take immediate steps in regard to Silchar-Shillong road and to see that it is repaired immediately.

Hon. Deputy-Speaker is ringing the bell. I would not like to displease him. Mr. Deputy-Speaker, Sir, you are lucky. There is no flood in your area. So, you will not feel so muchâ€¦...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: My area is completely covered with sea. Hon. Minister has come and seen it.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : I am going there in October. I would see the place.

I would request that after this discussion on flood you should have some dialogue with the Finance Ministry and the Planning Commission and try to find out some short-term and long-term solutions. The short-term solution is to call the States and tell them that the basic lifelines for an ordinary man in the village should be repaired. I know that it was once done when Shri V.C. Shukla was the Minister. He, at our request, did it and for that we are very grateful.

I know that Shri Nitish Kumar is a man of the masses and my friend, Shri Arjun Sethi is also a common man. I would request them to please take some steps. आप लोगों ने क्या क्या ड्रिबेट किया, ड्रिबेट हो गया, फिर पेपर में आ गया। आप लैक्चर देकर चले गये और मिनिस्टर साहब अपने घर चले गये। This is the feeling of the people about our Parliament, which, Mr. Deputy Speaker, Sir, you are managing very well. You should also ask the Government to give some funds to help us. Now-a-days, the hon. Speaker does not say anything to the Government.

Sir, sometimes you should give a direction to the Government as you have done today in the case of the discussion under Rule 184. I would like to congratulate you for that. The Government will not fall because of a discussion under Rule 184. You will also not go down in the esteem of the people if you give a direction. In fact, you will be known by the people of Assam that you have directed the Government to give some money for their relief. So, kindly give a direction to the Government in this regard.

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और बाढ़ और सूखे दोनों के कारण नुकसान कृषि का होता है। जान-माल की भी हानि होती है। 1998 में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई थी और उससे जो बरबादी हुई, आज तक उन सड़कों, नदियों और बांधों की पूरी-पूरी मरम्मत नहीं हो पाई है। पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में था जिसमें हमारा जिला सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि जिले बाढ़ से प्रभावित थे। यहां तक कि गोरखपुर से लखनऊ की रोड कट गई थी। नेपाल की तरफ के जिलों का सम्पर्क तहसीलों से कट गया था, जिन्हें बनाने में सालो-साल लग गये। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं हवाई जहाज से क्षेत्र का दौरा किया था, वहां सैंट्रल टीम भी गई थी, जैसा कि होता है। बाढ़ से लोगों की जो क्षति हुई थी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम प्रयत्नों के बावजूद उस क्षति की आज तक भरपाई नहीं हुई। अनेकों गांवों का सत्यानाश हो गया। अधिकतर मकान ढह गये थे, जो अभी तक नहीं बन पाये हैं। लोगों को राहत के नाम पर पैसे दिये गये, मकान बनाने के लिए सब्सिडी दी गई, लेकिन जैसे उनके मकान थे, सरकार ने कितना भी किया, वे ठीक नहीं हो पाये। इसलिए जब बाढ़ आये, तब यह सब न किया जाए। बाढ़ आने से पहले ही एक मास्टर प्लान बनाया जाए। इसलिए जल संसाधन मंत्री जी को नियम 377 के अधीन मैंने एक नोटिस दिया था, जिसका जवाब आया कि गंगा बेसिन की नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों को कहा गया है। इसमें कहने-सुनने से काम नहीं होता है। नेपाल से नदियां आती हैं। हमारा जिला सिद्धार्थ नगर नेपाल सरहद पर बसा हुआ है। हमारे जिले की 58 किलोमीटर बाउंड्री नेपाल से मिली हुई है। इन नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए पहले जो योजनाएं बनी थीं उनमें भालू बांध योजना, जलकुंडी योजना प्रमुख हैं। जब तक ये योजनाएं नहीं बनाई जायेंगी और नेपाल सरकार से बात नहीं की जायेगी, तब तक बाढ़ का कोई मुस्तकिल प्रबंध नहीं हो पायेगा। हां, ऐसे ही बाढ़ें आयेंगी, बरबादी होगी। कुछ रुपया केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को चला जायेगा। राज्य सरकारें गांव-गांव में घरगिराई बंटवा देंगी और इसी तरह रस्म अदायगी होती रहेगी। इसलिए इसके बारे में कोई सही रास्ता निकालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज नदियां, पटके और उनकी सतह ऊंची हो गई है, जिन्हें गहरा करने की जरूरत है। बंदा तो बना दिया, लेकिन नदियां उतनी गहरी नहीं रहीं, इसलिए पानी उनसे ऊपर उछलकर बह रहा है। इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि बार-बार हर मर्तबा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि रस्म अदायगी से कोई फायदा नहीं होगा। इस पर सभी सदस्य जो यहां बैठे हैं, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और जो नहीं है, वे सब मिलकर ऐसी योजना बनायें, माननीय मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और जहां से भी सहायता मिले, इसे किया जाए, ताकि हर साल होने वाली बरबादी से किसान बच सके और जो पैसा बाढ़ के बाद पुनर्वास और राहत के नाम पर बचता है, उसी पैसे को ज्यादा से ज्यादा मास्टर प्लान के तहत थोड़ा-थोड़ा देकर हर साल बाढ़ से बचाया जाए। एक योजना पहले के.लाल साहब के जमाने में बनी थी कि उत्तर से दक्षिण की नदियों को मिला दिया जाए, जिससे कि बाढ़ और सूखे दोनों से बचा जा सके। अभी पिछली लोक सभा में डिस्कस हुआ था कि यह काफी पैसे की योजना है। ठीक है, हम मानते हैं कि यह बहुत पैसे की योजना है, लेकिन इस पर थोड़ा-थोड़ा काम किया जाए तो आखिर किसी दिन तो काम पूरा हो ही जायेगा। अगर हम यही सोचते रहे कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा तो वह योजना कभी नहीं बन पायेगी। इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि जैसे एक मर्तबा श्री सी.पी.ठाकुर जल संसाधन मंत्री थे, उन्होने इस विषय में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रांतों के लोगों की बैठक भी बुलाई थी कि इसके लिए क्या किया जाए।

सब लोगों के सुझाव भी उसमें आए। इस तरह से सुझाव लेकर इसको ठीक करने की जरूरत है और इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनाकर काम किया जाएगा तभी हर साल हम लोग बाढ़ से राहत पाएंगे, इतना ही मुझे कहना है।

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me a chance. You know that I am one of the seniormost Members of this House. This is my eighth term. During this long period, I think there has been no such year in which we have not discussed flood, drought or any such thing. This is the position. We are discussing it. We are debating it. We shall ask for embankment. We shall ask for afforestation. We shall ask for some other things. We shall ask for money. The hon. Minister from the Government side will say, "All right. This much has been allotted for you."

In this connection, through you, I would like to ask a question to the hon. Minister here. Last year, he was not the Minister of Agriculture. There was his predecessor. Last year, there were floods in West Bengal. Fourteen districts were affected. At that time, the State Government had asked for Rs. 725 crore and he had sent a Central Team. They visited many places. After coming back from there, the Government gave only Rs. 29 crore. The Central Team recommended Rs. 200 crore. May I know about the estimation of sending a Central Team? Is it not an unnecessary expenditure? You could have said, "This was the lottery. Rs. 5 crore have been allotted to 'A' State, Rs. 2 crore for 'B' State and Rs. 3 crore for 'C' State." He could have distributed it in this manner. This type of thing should not be done.

From 1st August, there have been heavy rains in the northern parts of West Bengal, particularly in Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar. The river was in spate. There has also been rain in the upper catchment area. The entire North Bengal got flooded with water. Do you know as to what is its position and dimension? About 300 houses have been washed away. About 4,000 houses have been damaged. About five lakh people are flood affected. About 2,000 cattle have lost their lives. This is the position. Have you sent a single farthing to them as yet? No.

We are discussing how we can check the floods. This has been discussed so many times. Today, I am repeating all those things. In the 1950s, there was a Commission. It was not Shri K.L. Rao's time. In 1950s, there was a mention about Brahmaputra-Krishna-Godavri Canal, that is, from North to South. Let there be a river grid. Have you taken up this position till today? No.

In 1965, just to control the flood affected areas of North Bengal and the North-Eastern Region, there was a Report of the Man Singh Committee. Have you gone through that? The reply is 'no'.

Last time also, we tried hard. Particularly the Members from Bihar, West Bengal and the North-Eastern Region demanded that let there be talks with the Governments of Nepal and Bhutan, and others. You did not do that. How can you check the water? Take the instance of North Bengal. We are very much linked with Bhutan.

In Bhutan, deforestation is going on ruthlessly. They are mining the dolomite, that means, river water is coming down very heavily in that part. The entire area is going to be flooded.

Sir, now we are speaking about embankments. But what is the position with regard to embankments? The riverbed is silted and is going to be high and high. Tomorrow, in future, we shall have to ask our children and grand children where is the river. It is not down but is flooding high and we are down. This is the condition of entire India. If this is the position, may I know from hon. Minister, has he set up any commission to check these floods throughout the country? How can he send water to the drought prone areas? All things have to be taken up at a time and in an appropriate manner.

Sir, these activities are very much condemnable. When we are floating on floods, at that time so many areas have been isolated. Rail lines have been washed away. Now, some road links have been made, but in some parts rail links could not be established.

The hon. Minister of Food and Supplies is not here. The FCI has taken a decision to stop storing activities in some parts of West Bengal and let Godown facilities to be available only in Siliguri. The facilities in Alipore Dwar and Jalpaiguri have been withdrawn. How will they supply food to others? This is the position as on now. They do not care about others.

I request the hon. Minister to come to our part, visit the affected areas and do something for the flood victims. I would also request the hon. Minister to sanction some money and not to depend on the central teams because no one knows when those teams would visit the affected areas and sanction the money for these downtrodden and poor people affected by floods.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : समय देने के लिए धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ पर चर्चा चल रही है । कहा गया है कि प्रति वर्ष इस पर चर्चा होती है, लेकिन बाढ़ की वही स्थिति रहती है जो पिछले वर्षों होती रही है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने एक अनुमान लगाया था कि इस देश में 40 मिलियन हैक्टेयर फ्लड प्रोन एरिया है जिसमें से 32 मिलियन हैक्टेयर में सुरक्षात्मक कार्रवाई की जा सकती है, उसमें सुरक्षा दी जा सकती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक भारत सरकार ने इसके लिए काफी पैसे खर्च किए। करीब 19 हजार किलोमीटर से ज्यादा बांध बनाए गए, 32 हजार किलोमीटर से ज्यादा ड्रेनेज बनाए गए। इसके बावजूद दुनिया में आज यह स्थिति है कि बंगला देश के बाद भारत का स्थान है जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित होता है या सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आज स्थिति यह है कि जहां 50 के दशक में इस देश में 16 मिलियन आदमी विस्थापित होते थे, वहां 80 के दशक में यह आंकड़ा बढ़कर 53 मिलियन पहुंच गया है और स्थिति यहां तक बदतर हो गई है कि प्रति वर्ष बाढ़ से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 30 मिलियन तक पहुंच गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक तकरीबन 41-42 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान फसल की बरबादी के रूप में, मकानों की बरबादी के रूप में या सड़कों की बरबादी के रूप में हो चुका है। अब स्थिति यह है कि बाढ़ की वजह से पूरे देश में प्रति वर्ष 1500 जानें जाती हैं। 1977 में तो 11 हजार से ज्यादा आदमी बाढ़ से मर गए। बहुत सारे कार्यक्रम बने, लागू किए गए, चर्चा होती है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से दूसरी बात कहना चाहता हूं । बड़ा प्रयोग हुआ, बांध बनाने का ड्रेनेज निकालने का, बाढ़ को रोकने का, लेकिन बात वही हुई कि "ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया"।

इसलिए दुनिया में एक दूसरा विचार आया है कि नदियों को बांधो मत बल्कि बांध दो आबादी को, नदियों को यथावत बहने दो। मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूं। मेरे घर के बगल में एक बूढ़ी नदी बहती है। 1938 में वहां बांध टूटा। उस समय मैं छः-सात बरस का था। मेरे घर के निकटमात्र डेढ़ फीट पानी आया था। आज उसी जगह,

उसी नदी में बांध टूटे तो हमारी छत से ऊपर होकर पानी बहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना से नदी पर बांध बांधने का प्रयोग देश में शुरू हुआ । तब से नदी का बेड ऊंचा होता जा रहा है। जब नदी का बेड ऊंचा हो रहा है तो प्रति पांच वर्ष के बाद फिर सरकार कहती है कि बांध को ऊंचा करो। इससे बांध की ऊंचाई इतनी बढ़ती जा रही है कि जहां कहीं बांध टूटता है वहां प्रलयंकारी दृश्य पैदा होता है। हवांगो नदी को बांधा गया। आज हवांगो नदी का बेड 13 फीट ऊंचा हो गया है जिसके चलते आज चाइना के सामने भी यह सवाल है कि कभी बांध टूटेगा तो शायद उसकी बहुत बड़ी आबादी बर्बाद हो जायेगी। इसलिए दुनिया में अब यह प्रयोग आया है कि नदियों को मत बांधो, आबादी को बांधो। इस प्रयोग में नेचुरल गति के साथ, प्रकृति के साथ छेड़खानी मत करिये। अगर इसके साथ छेड़खानी करोगे तो इस तरह की परिस्थिति देश और दुनिया में पैदा होगी जैसे कभी उड़ीसा बर्बाद हो गया, अभी हिमाचल प्रदेश की चर्चा कर रहे थे तो कभी अरुणाचल प्रदेश में अननेचुरल ढंग से प्र ाकृति कुपित होकर यह परिस्थिति पैदा करती है। मेरा कहना है कि ऐसा होता रहेगा । इसलिए नदियों को छेड़ो मत बल्कि उन्हें बहने दो । क्योंकि यह देश आज का नहीं है, सदियों का है, हजारों वर्षों का देश है। तब भी नदी थी, तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए भी थे, हमारी बगल में पहाड़ भी थे और नेपाल भी था। वहां का पानी यहां आता था लेकिन वह परिस्थिति पैदा नहीं होती थी जो पिछले 50 वर्षों से पैदा हो रही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दो। जिस तरह से पावर नैशनल ग्रिड आपने जोड़ा है, उसी तरह से नैशनल वाटर ग्रिड हो । सभी नदियों को एक साथ जोड़ने का काम करें, नहीं तो यही होता रहेगा कि एक हिस्सा देश का बाढ़ से प्रभावित है और दूसरा सुखाड़ से प्रभावित है। आप देश की बात छोड़ दो। मैं बिहार में खुद देखता हूं कि हमारे कुछ जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और कुछ जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं। अगर नदियों को जोड़ देंगे तो जो सरप्लस पानी है, वह दूसरे क्षेत्र में बहता रहेगा और कहीं भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1956 में डाक्टर लोहिया ने कहा था कि पांच साल, दस साल या पन्द्रह साल में नदियों को साफ करो। उसमें जो मिट्टी जमा होती है, उसको बाहर निकालने का काम करो। मैं कहना चाहता हूं कि फ्लड कंट्रोल तो हुआ लेकिन अब ड्राउट कंट्रोल भी होना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि जब नदियों का पानी खेत में जाता था तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। खेत में कीड़े मकौड़े होते थे, वे मरते थे लेकिन अब नदी का पानी खेत में नहीं जाता। नई मिट्टी जाती नहीं है इसलिए खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, फसलों में बीमारियां होती हैं, काफी कीड़े-मकौड़े होते हैं, जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं। â€¦(व्यवधान) अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मेरा सुझाव है कि तमाम नदियों को जोड़ो । और फिर आप रिजरवायर बना दें, डैम बना दें ताकि नदी का पानी हमारे लिए अभिशाप न होकर वरदान बन जाये। यह कुदरत की देन है । इसलिए, आप इसे साफ करने का काम करें। 1970 में ठीक ही कहा है â€¦(व्यवधान)

श्री के.एल.राव ने जब इरीगेशन मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक सुझाव दिया था कि गंगा और कावेरी को जोड़ो। इस पर सरकार को अमल करना चाहिए। इसलिए नदियों को जोड़ो, नदी को बांधो नहीं। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नगीना मिश्र। अनुपस्थित।

श्री बैसीमुथियारी। अनुपस्थित।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस सदन के माननीय सदस्य श्री रामजी लाल सुमन जी ने नियम 193 के अन्तर्गत बाढ़ पर बड़ी दर्दभरी चर्चा उठाई। इस संबंध ने कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की। उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ एक नैसर्गिक संकट है लेकिन मानव निर्मित है, सरकार निर्मित है।

1977 में इसी सदन में ऐसी चर्चा हुई थी। पुराने संसद सदस्य यहां हैं। मोरारजी भाई उस वक्त पंथ प्रधान थे। उन्होंने खड़े होकर बोला था कि मैं उत्तर प्रदेश की नदियों को दक्षिण भारत में ले जाऊंगा। एक सदस्य ने कहा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा तो उन्होंने कहा कि पैसे की चिन्ता नहीं है।, मैं कहीं से भी पैसा लाऊंगा। बाढ़ एक राट्रीय आपदा है, महान् आपदा है, मानव का संकट है और खेती के लिए भी संकट है। मैं इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसा रघुनाथ बाबू ने कहा, हर साल जो खर्चा होता है, उसमें अधिकारी पैसा खाने का मार्ग निकालते हैं। हमें इस मार्ग को बंद करना है। जैसा अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया, उसके बारे में मैं विनती करता हूं।

महाराट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन चालू वर्ष में एक महीने बारिश हुई और बाढ़ आ गई। इतना ही नहीं, जलगांव में एक विधायक का चिरंजीव बाढ़ से बह गया। इतनी खराब परिस्थिति है। तीन हफ्ते से बिल्कुल बारिश नहीं हुई, सूखा भी चल रहा है। मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि एक कमेटी भेजी जाए और बाढ़ के राट्रीय संकट को दूर करने के लिए अच्छी तरह उपाय किए जाएं। राज्यों को राहत के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही हैं। यह बात ठीक है कि इस पर पिछले बीस वर्षों से सदन में बहस होती रही है, बहुत से सुझाव आते रहे हैं, एक से एक कीमती सुझाव आए, बावजूद इसके हमारे यहां बाढ़ की समस्या के लिए जो ठोस उपाय किए जाने चाहिए, उन पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह प्राकृतिक आपदा अब न तो प्राकृतिक आपदा रह गई है, न मानवीय भूल है बल्कि इसने मानव निर्मित आपदा का रूप ले लिया है। इसलिए आज जरूरत है कि हमारे देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक, विशेज्ञों को लेकर इसके उपाय निकाले जाएं और खास तौर से जब बाढ़ की भीाण परिस्थिति है तो उसमें प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों के हैलीकॉप्टर में भ्रमण करने से काम चलने वाला नहीं है। वैसी स्थिति में सर्वदलीय नेताओं का टूर होना चाहिए और उनकी सिफारिशों पर सरकार को अमल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फंड देना चाहिए और मानवीय संकटों को दूर करने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

चाहे बिहार का सवाल हो, पश्चिम बंगाल हो, अरूणाचल, आसाम, हिमाचल प्रदेश हो, सभी जगह आज यह समस्या मुंह बांए खड़ी है। मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या बताना चाहता हूं। आज अनाप-शनाप ढंग से कई जगहों पर बांधों और प्रोजैक्टों का निर्माण हुआ है जिसके चलते बाढ़ की समस्या पैदा हुई है।. मेरे यहां कहलगाम में एन.टी.पी.सी. ने कोयला लाने के लिए जो रेलवे लाइन बनाई है, उसके चलते आज एक हजार एक्ड से ज्यादा एरिया वहां बाढ़ में डूब जाता है, जल जमाव की समस्या होती है और हर साल लाखों रुपयों की फसल बर्बाद होती है, जान-माल की बर्बादी होती है। उसी तरह सुल्तानगंज से कहलगाम तथा पिरपैटी रानी दियारा-एकचाही दियारा तक गंगा से जमीन कट रही है और लाखों लोग बेघर-बार हो रहे हैं।

इसके लिए मैं भारत सरकार से, केन्द्रीय मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि इसके लिए वे पर्याप्त कदम उठायें और वहां कटाव को रोकने के लिए और किसानों की समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय करें। साथ-साथ बड़े पैमाने पर राहत के लिए फंड भेजें। चाहे नाव देने का सवाल हो, चाहे ऋण देने का सवाल हो, उसके लिए पर्याप्त कदम उठायें। साथ-साथ जो कटाव की समस्या है, बड़े पैमाने पर लोगों के पुनर्वास की समस्या और कटाव को रोकने के बारे में काम किया जाये।

मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद से आज तक राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के द्वारा बाढ़ के बचाव में प्रतिवर्ष जो उपाय किये गये, वे देश के 53-54 साल की आजादी के बाद आज निरर्थक प्रतीत हो रहे हैं। देश की आजादी के बाद से आज तक जो अरबों रुपया बाढ़ से बचाव के लिए खर्च किये गये, उस अरबों रुपये ने बाढ़ से लोगों का बचाव तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के घर, जिसमें ठेकेदार और इंजीनियर हैं । उनके घर निश्चित तौर पर आबाद हुए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश के अन्दर जल का सही तरीके से प्रबन्धन करे और जल को समवर्ती सूची में शामिल करे। आज हम आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहेंगे कि नेपाल से निकलने वाली नदियों से प्रतिवर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नेपाल के अन्दर पानी के विवाद ने भारत और नेपाल के सम्बन्धों में गर्माहट पैदा करने का काम किया है। आज नेपाल की राजनीति के अन्दर यह वातावरण बनाया गया है कि भारत अधिक से अधिक पानी का उपयोग कर रहा है और इस सवाल पर नेपाल के अन्दर कोई राजनैतिक दल सार्थक पहल करने के लिए, आगे आने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। इसलिए हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि वे नेपाल सरकार को विश्वास में लेकर वहां के सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लेकर जो बाढ़ की समस्या है, नेपाल से निकलने वाली नदियों से होने वाली हानि का सवाल है, इस पर एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचें और नेपाल के अन्दर भी पहल करके उसे आर्थिक सहयोग प्रदान करके इस समस्या का मूल रूप में निदान निकालने का प्रयास करें। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि घाघरा, राप्ती, रोहिणी और गंडक, ये जो मात्र चार नदियां हैं, इन चार नदियों का मैं इसलिए विशेष तौर से उल्लेख कर रहा हूं, इन नदियों से प्रत्येक वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश का बस्ती जनपद, सिद्धार्थनगर जनपद, महाराजगंज जनपद, गोरखपुर जनपद, कुशीनगर जनपद और देवरिया जनपद मऊ जनपद प्रत्येक वर्ष बर्बाद होते हैं। बिहार के कई जनपद बर्बाद होते हैं। मात्र इन चार नदियों से देश की दो करोड़ से अधिक आबादी प्रत्येक वर्ष बर्बाद हो रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन चार नदियोंपर 50 वर्षों के अन्दर जितना धन बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए खर्च किया गया है, यदि उस धन का सही तरीके से उपयोग हुआ होता, कारगर नीति अपनाकर उपयोग हुआ होता तो शायद उस अंचल के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता था। हम आज फिर आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि वह इन क्षेत्रों में यदि ईमानदारी से बाढ़ की समस्या का निदान करना चाहती है तो मात्र संसद के अन्दर इस चर्चा से इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। संसद इस समस्या के प्रति कितनी गम्भीर है, यह सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं और सरकार कितनी गम्भीर है, इसमें जो मंत्रीगण बैठे हैं, इनकी नगण्य संख्या से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि बाढ़ की समस्या का स्थाई तौर पर निदान करना है तो एक संसदीय समिति का गठन होना चाहिए। इस संसद की जितनी कार्यावधि शेष है, उस शेष कार्यावधि के लिए एक संसदीय समिति का गठन होना चाहिए। वह संसदीय समिति देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए नेपाल जाकर भी भ्रमण करे। वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को और बाढ़ विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति का गठन करके बाढ़ की समस्या का स्थाई निदान निकाला जाये। एक अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज बाढ़ के साथ-साथ सूखे की भी समस्या है।

किसानों के समक्ष खेत में सिंचाई के पानी का भी संकट है और गिरते हुए जल के स्तर का भी सवाल है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, आज आवश्यकता है वर्षा के जल को, बाढ़ के जल को भूमि के अंदर वैज्ञानिक तरीके से अवशोषित कराकर गिरते जल को ऊपर उठाने की।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: My only appeal to all of you is that it is now going to be according to the schedule. So, each speaker is given five minutes only. I request that let that be strictly adhered to.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I am sorry when my name was called I was held up for 9th August function. ...(*Interruptions*)

Sir, first of all, on behalf of our Party, I strongly plead the case of Arunachal Pradesh which is recently the victim of worst ever flood in the history of India. This tiny State is having no resources at their command. I was told that nothing had been given from the Centre till now. I will be grateful to the Government if they respond to this crisis immediately and rescue Arunachal Pradesh.

The second point is that I am still very confused as to who is dealing with the subject of flood. My understanding was that when Dr. C.P. Thakur, the then hon. Minister, held a meeting after the Lok Sabha was constituted that flood is his subject and I understood the flood relief is the subject of the Ministry of Agriculture. So, I am happy that both the Ministers, Shri Arjun Sethi, hon. Minister of Water Resources and the Minister of Agriculture, who is to do work after the flood, are here.

I am thankful to both the Ministers. Both the Ministers are committed, honest, sincere and are men of the public having practical experience in their lives. So, I do hope a lot that they will respond to this.

Sir, I have been arguing it a number of times. I represent an area in North Bengal. I would like to inform you that out of 11 blocks in my constituency, Raiganj, seven blocks remain under water for four months a year. During election time, out of 1500 booths, 680 polling booths are on boat. You can imagine the plight of the people whom I represent. I am told that the Ganges is changing its course in the district of Malda and within five years Malda town would be under water of Ganges. This is the threat.

The starting point of the river Phulhar in Bihar is destroying my area called Ratua. There is already an island surrounded by the river and 80 villages have already gone into erosion and people of 20 villages are crying for the last two months. I could not tell them anything. I told privately to the hon. Minister, Shri Arjun Sethi. I wrote a number of letters to the hon. Minister, but, as usual, the reply was that it is being looked into. Finally, when it will be looked into, everything will be under water and there is nothing to look into except water. Therefore, with all seriousness, I would request the hon. Minister to consider this. I would give only a few suggestions.

There is an area known as Itahaar. Hon. Member, Shri Rupchand Pal knows about it. It is under water for six months in a year. What do I do there? There is nothing, no education, etc. I represent an area called Raiganj. Half of the area is linked with Barsoi of Bihar. Hon. Minister Shri Nitish Kumar comes from that area. Nothing could move

there. The National Highway number 34, which is the life-line of North-East, is under water for four months a year. Nothing moves there. Therefore, I would make a few suggestions to the hon. Minister in line with what Kunwar Akhilesh Singh has said. Please write a letter to all the MPs of areas known as flood-prone segments and advise them. You identify the rivers connected with the border countries -- rivers in Bangladesh and Nepal -- and the Indian rivers, which are causing problems.

Thirdly, you compile all those data in your computer and evaluate in the State Annual Plan as to how much is there to have a total management of the flood and how much is there for the temporary management of the flood. Thereafter, you prepare a White Paper and call a two-day brain-storming meeting of all those MPs, and bring the State Government Representatives. You understand what available resources can be there to look after the issue. Then, a comprehensive idea could be evolved because in our district, Uttar Dinajpur and Dakshin Dinajpur, we are the victims of river from Bangladesh every year. We cannot help it. Sometimes, I feel that we are paying a price. We are the victims of the river which is coming from Bihar called Phulhar. I do not blame Bihar. The river has to flow somewhere. These days it is said in the modern world that there cannot be any flood control. It could only be flood management. River cannot be resisted, nature cannot be throttled by pressure and nature should move as it is.

नदी ्बहती है, ्बचपन ्से ्सुना है, उ्से रोका नहीं जा ्सकता। Therefore, you have got to take three things into consideration. You have enormous funds not at your disposal, but at the disposal of the Ministry of Rural Development. I gave this idea to the District Collector of my constituency that the money in the programme of Employment Assurance Scheme should be spent like China did. During the period January to April the digging and de-silting process of the river should be done and you take this soil and put it on high embankment. Every month in these three months, it should be done permanently as a regular programme in every *Panchayat* with that money and with proper supervision. With this you can handle half of your problem.

I tell you that half of your money is not reaching for the flood management. It is taken away by thieves and dacoits. There is a lobby in Pakur and Raj Mahal areas. I would request you to visit that area. They will decide what time the stones should be put and they will decide it around the time of monsoon so that it will be washed away. If any engineer is courageous enough and shifts it much in advance, there will be attempts on his life. That is the kind of *mafia* that is there.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, he is talking very genuine thing. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is very strange.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I am speaking about a very serious thing. When my area was devastated by floods, I told the engineer as to why he did not start the work six months before. ...(*Interruptions*) Sir, I cannot tell you officially. But the fact is that this *mafia* will not allow to release the tenders in time so that the span which will be built by the stones will come up in time and if it is attempted, there will be attempts on the life. I tell you that this is a serious problem.

Therefore, I would request the hon. Minister to please consider this, without listening to the officers sitting there. I told you to take care of the Ganga Flood Control Commission in Raj Mahal and Pakur areas. Do you think that the Bengal flood is only limited upto Raj Mahal? No. There are Mahananda and Jalpaiguri divisions. The rivers, Tangon, Chiramati, Sui, Nagar, Kulik are creating havoc. I have already started collecting the tarpaulins because this is the month of August and I know that the floods are coming within a week in my constituency. So, I am only collecting the tarpaulins because I know that the Government of India will not give anything and the State Government will say that there are no funds and the Members of Parliament will be hauled up as to what we are doing.

Therefore, I would request the hon. Minister to please not to dispose of this debate in a casual manner and have a constructive debate and discussion for two or three days. You sit in Vigyan Bhavan and call all the M.Ps. representing the flood-prone areas. You take in advance the papers from them. You call the representatives of the State Governments. You call your experts. You have a two-day meeting and then you come to the conclusion as to how to do it. You also call the Minister of Rural Development because there is a huge amount of money in the *Panchayats*. Without doing any hard work they are taking the money. You compel them that in January-April period they should take up the river programme and in May-June the drought-prone area programme. In July the monsoons will come and the rivers will be ready. If you do not do this in a business-like manner every year, I am afraid you cannot tackle the flood management. You do not resist

the flow of the river. Let the river flow as it desires. The human beings should plan and allow the river to flow an__d then manage the flood siation by heightening the embankment and taking care of the causes of silting etc. under this Employment Assurance Scheme every year.

श्री शिवराम सिंह रावि (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बाढ़ के विषय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारा देश भिन्नताओं में एकता का देश है। देश में कहीं वर्षा, कहीं सूखा, कहीं तूफान रहता है। हमारा देश अनेक प्रकार की आपदाओं से घिरा हुआ रहता है। मेरा जनपद बिजनौर चूंकि पहाड़ की तलहटी में स्थित है, उत्तरांचल से बहकर 20-25 नदियां मेरे जिले से गुजरती हैं, गंगा नदी जो पूरे देश की सबसे ज्यादा धार्मिक और प्रसिद्ध नदी है, उसके किनारे बिजनौर जिला बसा है। वहां जून के माह में बहुत भीषण 4-5 दिन तक वर्षा हुई। लोगों का यह मानना है कि करीब 80 वर्ष पहले इस तरह की बाढ़ आई होगी और उसमें करीब 22 लोगों की जानें गई, 80 पशु मृत्यु के शिकार हुए, करीब 5000 मकान क्षतिग्रस्त हुए और कुछ झुग्गी-झोंपड़ी वाले बह गये। करीब 25 गांव जो नदियों के किनारे बसे थे, गंगा, राम गंगा और मालन इस प्रकार से करीब 20 नदियों में डूब गए। 5-6- दिन तक पहाड़ पर वर्षा हुई और नीचे भी हुई।

अधिक वर्षा के कारण बहुत नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को इसके बारे में लिखा गया है। इसके बारे में सभी पेपरों में आया है, लेकिन अभी तक दस लाख रुपए की राशि ही उपलब्ध कराई गई है और इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बिजनौर से पौड़ी, बिजनौर से नांगल, बिजनौर से कालागढ़, बिजनौर से नूरपूर, बिजनौर से नगीना-बढ़ापुर, बिजनौर से पानीपत-खटीमा मार्ग - ये सारे रास्ते टूट गए हैं। लगभग सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दो पुल टूटे हैं, 8-10 छोटी-छोटी पुलिया टूटी हैं। सड़कों की हालत ऐसी है कि उन पर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नदियों के कटाव से कारण हजारों एकड़ जंगलों की जमीन बह गई है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बिजनौर जिले के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों का लगान माफ किया जाना चाहिए। किसानों से कर्जा वसूली में जो सख्ती की जा रही है, उसमें राहत दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खेती का नुकसान हो रहा है और जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। जैसा प्रधान जी ने बताया, इस विषय पर हम कई सालों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई सफलता नहीं मिल रही है। मेरा सुझाव है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है और जहां पानी की कमी है, उस पानी को उस क्षेत्र में भेजने पर विचार होना चाहिए। मुम्बई में कोकण जिले में अधिक वर्षा होती है, लेकिन वर्षा का पानी सागर में बह जाता है और उस पानी का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी को एक नया सागर बनाने के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। â€¦(व्यवधान) नया सागर बनाने के बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, यह हंसी का मुद्दा नहीं है। इसी प्रकार फल्ड कन्ट्रोल कार्पोरेशन बनाने की आवश्यकता है। इस विषय पर मुंशीजी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है कि इस समस्या से निपटने के जिन लोगों को कान्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। इंजीनियर्स और अन्य लोगों पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता है। मेरा दूसरा सुझाव है, महाराष्ट्र में गोदावरी, कृष्णा, पंचगंगा, चन्द्रभागा नदियों में जहां-जहां भी बाढ़ें आती हैं, वहां के लोगों को रिहैबलीटेट करने की आवश्यकता है। अपने पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि कौन-कौन सी जगहों पर बाढ़ें आती हैं। इस बारे में सरकार को सर्वे कराने की आवश्यकता है। अभी माननीय सदस्य बतला रहे थे कि 80 साल के बाद बिजनौर जिले में गंगा नदी में बाढ़ आई।

उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसलिए जहां-जहां बाढ़ आती है, उसे रोकने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर यह सरकार बाढ़ को रोकने का प्रयत्न नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में वोटों की बाढ़ इधर आ सकती है और अगर यह बाढ़ इधर आ जाएगी तो आपको फिर दोबारा सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको इस बाढ़ को रोकने की आवश्यकता है। आगे यह भी हो सकता है कि वहां से बाढ़ आएगी और नीतीश कुमार जी इधर भी आ सकते हैं। इसी तरह यह भी पानी की बाढ़ है। पोलिटिक्स में ऐसा भी होता है, यह बात ठीक है। इसलिए इस बाढ़ को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी, आपके द्वारा अच्छा प्रयत्न हो सकता है।

अत: आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस बाढ़ को रोकने का प्रयत्न करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arjun Sethi to intervene in the debate.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN SETHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to intervene in this important discussion on floods in different parts of the country, and the measures to be taken to mitigate the sufferings of the people in the affected States. My senior colleague, hon. Minister of Agriculture, will deal with the issues of relief, restoration as well as rehabilitation of the affected people, and other problems arising out of these floods like landslides in different States.

At the outset, I thank the hon. Member who has initiated this debate. He and the other Members who have spoken have pointed out the seriousness as well as the damages caused to the States in different parts. They have narrated in detail the problems being faced in their respective States. I do not want to go into those details. I would only like to highlight here that after Independence, especially after the planning process started in our country, no doubt, measures have had been taken, and funds have been allotted to control floods as well as to provide irrigation facilities in the States for the benefit of the people, especially the farmers. Due to this, the area under irrigation has increased from 20 million hectares to 90 million hectares over the years. The green revolution is the result of it, and the food production has increased from 52 million tonnes to 200 million tonnes now.

My hon. Friend, Shri Dasmunsi, and those who have spoken on this issue have brought to the notice of the House as well as the Ministry that the Members concerned, whose constituencies have been affected by floods, should be involved and there should be a discussion so that the flood prone areas can be known, and a master plan or some sort of task force should be constituted to deal with this problem.

Sir, I have no objection to that. But I would like to remind him that the subject of flood control is not entirely with the Central Government. Flood control and Irrigation is in the State List. The primary responsibility lies with the State Government.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I also have said that you could invite the representatives of the State Governments as well.

SHRI ARJUN SETHI: Sir, I would not like to enter into any controversy. You are aware that how small matters now-

a-days are blown out of proportions and how this inter-State river waters have turned into inter-State water disputes. No tangible results could be achieved to provide water or irrigation facilities to the deficit areas getting transferred from surplus areas of the country. This is a fact. This has been a problem for all Governments at the Centre. I would not like to blame any particular State Government or any particular area. But I would just like to highlight some of the reasons as to why this problem has become so acute in the recent years.

Sir, Hon. Member Shri Suman has stated that the Government has no National Water Policy. I would like to remind him that a policy has been adopted in 1987 and is in force. The State Governments, within the framework of that National Water Policy, are trying to solve the inter-State water disputes. There are cases pending in the Tribunals; there are cases pending even in the High Courts and the Supreme Court. We all know. The Government is still trying to evolve a consensus to solve this problem. This problem could be solved only with the concurrence of the State Governments and with the concurrence of the different agencies. Now this assumed such a proportion that it is not possible to manage and control the floods.

Sir, hon. Member Shri Suman has referred to the total area that has been given protection from flood. I would like to mention here that out of the total flood prone area of 40 million hectare, the total area that could be given reasonable protection is about 32 lakh million hectare. Out of this, protection has been provided to 14.4 million hectare of land. The total amount spent for the purpose by both the Centre and the State is Rs. 5,831 crore. This is the amount that has been spent till date since the inception of the Plan process. This is the cumulative spending by the Centre and the States.

Sir, it could be imagined that in spite of this much spending, this problem is on the increase and it is because of increase in population and depreciation in the value of the rupee.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, how could population be linked to floods?...(*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : इससे जनसंख्या का क्या लेना-देना है?

SHRI ARJUN SETHI: Sir, the value of rupee has come down.

20.00 hrs.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, we are not discussing the fiscal policy of the country now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Dasmunsi, let the Minister be heard first. You can seek clarifications later on, if you want.

SHRI ARJUN SETHI: I referred to it because some hon. Members keep saying that while the Government spending on flood management is on the increase, there has been no improvement in flood management.

श्री अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के कहने का तात्पर्य यह है कि जो पैसा खर्च होता है, उसका दुरुप्योग न हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record now except the Minister.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: The convention is that when a Member wants to seek some information, he has to request the Minister to yield first.

---

*Not Recorded.

SHRI ARJUN SETHI: Sir, as I have stated earlier, as the population grows over the years, the density of population in particular areas increases tremendously. As a consequence of that, the number of people affected by floods also increases. That is the connection between growth in population and flood management. That is what I meant when I talked about it.

Some Members have talked about interlinking of Himalayan rivers and the peninsular rivers. The National Water Development Agency, which was set up in the 80s, is taking up this issue. Most probably they would be achieving their target by, as reported to me, the year 2010. However, unless this Agency gets the cooperation of the States concerned, it will not be possible to complete the feasibility studies in time.

Some problems of flood management have been pointed out. My friend, hon. Shri Prabhunath Singh has referred to the Lok Nayak Jayaprakash's native village Sitab Diara. The Central Water Commission has prepared a plan in this regard. I assure him that the money required for this work would be found and the work will be taken up in time. I understand that my predecessor who visited that place earlier assured the people of this. Necessary funds are being arranged so that this village is saved from floods in time.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Once the Central Water Commission had visited and taken a decision, it no longer remains a State subject. That was the point I was making. There are agencies under the Union Ministry which take the State Governments for their own programmes and the Minister straightaway says that he cannot do anything because it is a State subject.

SHRI ARJUN SETHI: The Central Government may prepare a feasibility study, prepare a scheme but who is to execute it? My senior colleague knows all these things. Ultimately it is the State Governments which have to execute such schemes. If the State Governments do not execute them properly and in time, all the schemes will go in vain.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): I agree with that.

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, उसके लिये उन्हें बधाई देते हैं। साथ ही यह कहते हैं कि यदि राज्य सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है तो केन्द्र सरकार किसी और एजेंसी के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव को बचा दे।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I have not been given a chance to speak on this very serious matter although I also gave my name to participate in the discussion. I should be allowed to speak now .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwismuthiary, I called your name but you were not present here. All of us were there but you were not there. Where were you?

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I was told that my turn would come after one hour.... (*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I called your name. But you were absent.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Can you not give me a chance to speak now?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, you cannot, please.

SHRI ARJUN SETHI: Sir, some hon. Members mentioned about the Indo-Nepal cooperation, and in regard to problems with Bangladesh and Bhutan. At this stage, I can say this much that recently the Prime Minister of Nepal visited our country and had discussion with the Government. From that discussion, what I gather is that they are very much positive in their approach to this problem. I hope, whatever problems which are there, will be discussed mutually and something positive will come out. I am very much optimistic about having some of the projects executed to save the people not only of Nepal but also of our country.

SHRI AMAR ROY PRADHAN : What about Bhutan?

SHRI ARJUN SETHI: About Bhutan, I was told that my predecessor Dr. C.P. Thakur was about to visit Bhutan. But because of his shifting from this Ministry to the other Ministry, this could not take place. But I hope, in the near future, we will have a discussion with the Government of Bhutan and find a solution.

Similarly with regard to problem concerning Bangladesh, we will have discussion with the Government of Bangladesh and try to solve it.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : What about China?

SHRI ARJUN SETHI: I cannot say anything about China....(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : After he visits China, he will tell about it....(*Interruptions*)

SHRI ARJUN SETHI: So, about Indo-Nepal, Indo-Bhutan and Indo-Bangladesh cooperation, we are optimistic. We hope that we will achieve something positive because all these Governments are very positive in their approach. In this regard I want to assure all the Members, especially from Bihar and West Bengal that we will achieve something positive.

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछली बार 1996 में जब इस विषय पर माननीय मंत्री जी

का ज्वाब चल रहा था तो हम लोगों ने निवेदन किया था कि जो कमेटी बनाई जाए...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you yielding Mr. Minister?

SHRI ARJUN SETHI: No, Sir,

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rudy, he is not yielding.

श्री राजीव प्रताप रूडी : उस कमेटी में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की कोई भागीदारी नहीं होती है। अभी कह रहे थे कि नेपाल के प्रधान मंत्री आये और बात करके चले गये। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इतनी बातों का कोई मतलब नहीं है। हर बार इस पर डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। सभी सदस्यों ने बार-बार घूम-घूमकर कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए इन लोगों की क्या भागीदारी होगी। राज्य सरकार की इसमें भूमिका होनी चाहिए, यहां का प्रतिनिधि इसमें होना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयरनमैंट का होना चाहिए। आखिर इनमें कोऑर्डीनेशन कौन करेगा। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर बार यह बात होती है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI ARJUN SETHI: First, hear me.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : No one is ready to bell the cat.

SHRI ARJUN SETHI: My hon. friend has also mentioned it....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rudy, you cannot stand up and start seeking clarification when he is not yielding.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, you must appreciate that this issue is very important.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The issue may be very important but at the same time when he is on his legs, he has to yield first. It is not that without his yielding you would stand up and ask clarification.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, we want a solution to the problem.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The moment you want to seek any clarification, he has to yield first.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, it is not the question of clarification. We are only requesting the hon. Minister. We want to know as to whether he is a party to that big Committee which is there; whether he is a part of the negotiations with Indo-Nepal team; and whether the Ministry of External Affairs takes him into confidence. We want to know all these things.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rudy, you have also spoken on the same subject earlier also. He is giving reply also.

SHRI ARJUN SETHI: Sir, as my friend Shri Rudy has rightly pointed, the Ministry of Water Resources, Ministry of External Affairs and also the Governments of Nepal, Bhutan and Bangladesh will sit together and find out the solution. Everybody will be taken into confidence.

I cannot, by standing here, say that this will be done or that will be done. I cannot assure that. But efforts are being made. With the previous Government in Nepal, the discussions almost stopped. But after the take over of the new Government in Nepal, they have come here and they have had discussions. They are positive in their approach. Only this much I can say. The Ministry of External Affairs is also very much involved; they will arrange everything. We will be a part of that and I think, something positive would come up.

My senior colleague will speak about other things like the steps that the Government has taken. He has visited Arunachal Pradesh and he would inform the House about that. He will also inform as to what is the amount of funds that has been allotted and also about the relief that has been given to those people. He will also deal with the situation in Himachal Pradesh and in other parts of the country.

I would say only this much that the occurrence of flood is not new; it has been there since long. The Government is taking all possible steps. With the cooperation of the State Governments and with the cooperation of all the hon. Members here, the Government as a whole can take steps to mitigate the sufferings of the people. There is no doubt about that. At the same time, I would say this that controlling of flood to one hundred per cent cannot be achieved because flood-prone area is very vast. That cannot be stopped, but its fury can be lessened.

With these words, I once again thank you very much.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, I have called out your name, but you were not present. Nothing will go on record. No. I cannot allow you now.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, I called out your name, but you were not present here. Nothing will go on record now.

*(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Janardhana Reddy, you can seek a clarification after the Minister, Shri Nitish Kumar's reply. The Minister is going to give reply now; and after that, you can seek a clarification.

...(*Interruptions*)

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): Sir, I have got only a few things to mention to the hon. Minister, Shri Sethi. Shri Nitish Kumar will talk about the rehabilitation, etc. His subject is clear.

I feel that Shri Sethi seems to have slightly got into the groove. I would only mention to him, through you, Sir, that Dr. K. L. Rao was holding this subject. He was the man who started studying the nature of rivers. He was mentioning about controlling the flood. 'Flood control' has gone and 'flood management' is the order of the day.

Here, one of the experienced hon. Members was mentioning that river is rising and not the floods. That means, it is getting silted. The natures of Himalayan

---

*Not Recorded.

rivers and the ground rivers are different. You may say that river water is a State subject. But River Godavari starts in Maharashtra and ends in Andhra Pradesh; River Krishna starts in Maharashtra and ends in Andhra Pradesh. So, it is not that one State alone can be asked to do it. So, it is the study, the research about the nature of rivers and planning control or management that is necessary.

So, I only earnestly ask the Minister, through you, Sir, whether he is going to continue the research in the CPWD or not.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is CWC.

SHRI N. JANARDHANA REDDY : That is right, Sir. I stand corrected.

You study these rivers and help the nation. You cannot say that this is a State subject.

SHRI ARJUN SETHI: Shri Janardhana Reddy is a senior Member. He has made some suggestions. The CWC is already doing that.

SHRI N. JANARDHANA REDDY : About the water released in Maharashtra, they would warn at Bhadrachalam or Rajhamundry by which time the water flows. This is the kind of work they are doing.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Janardhana Reddy, the Minister says that the research, about which you were talking, is already being done by the CWC, may be in Bhadrachalam or in someother place. That is what he said.

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): What I mentioned to the hon. Minister is different and what he is talking about is different. I am talking about studying the nature of individual rivers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is also being studied.

श्री ्सानछुमा खुंगुर ्बैसीमुथ्यिारी : आदरणी्य उपाध्यक्ष जी, आपने श्री रेड्डी जी को जो कांग्रे्स पार्टी के हैं, उनको क्लैरीफिक्े्शन पूछने के लिए मौका दे दि्या, लेकिन मुझे आप ्बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। अ्सम ्सरकार को ्ब्रह्मपुत्र कंट्रोल के नाम पर जितने करो्ड़ रुपए ्भारत ्सरकार की तरफ ्से दिए जा रहे हैं,

उनको दो भागों में बांटा जाए और ब्रह्मपुत्र फ्लड़ कंट्रोल बोर्ड के दो भाग किए जाएं।â€¦(व्यवधान) I am a lone Member of my party. I should have been given a chance to raise a few points which are very very important.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, your name was called. You were not here. Is it my fault?

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I am very sorry for that. Since the matter is very serious, I should have been given a chance to speak.

SHRI ARJUN SETHI: Sir, Shri Bwiswmuthiary has mentioned some points to me. I have taken note of them. I will write to him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have mentioned some points to him. He has already taken note of them.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : उपाध्यक्ष महोदय, असम में जो प्रोजैक्ट बन रहा है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए। मेरा सरकार पर आरोप है कि जिस प्र ोजैक्ट से वहां के ट्राइबल का फायदा होता है, उसको नहीं बनाया जाता है और जिससे नुकसान होता है उसको बनाया जाता है।

â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is this you are doing?

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, you are a senior Member. You have to behave well in this House.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, you have to speak with the permission of the Chair. I called you. You were not here. Can you speak as and when you stand up. Is it the convention here?

____

*Not Recorded.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving me a chance to raise some very genuine points. एक प्वाइंट है और वह डिस्क्रिपेंसी का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी मुद्दे पर बहुत समय के बाद रिप्लाई दिया जाता है। हमेशा बोला जाता है कि राज्य सरकार का काम है लेकिन जहां-जहां स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ रीजन्स हैं, कुछ जिले हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। उन एरियाज के लिए भारत सरकार की तरफ से अच्छे ढंग से पॉलिसी लेनी चाहिए। Entire North-Eastern Brahmaputra Valley is the bed of heavy rainfall and the bed of perennial floods.

भूटान से जितनी नदियां निकलती हैं, उन नदियों की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी चाहिए। एक एक्सक्लुसिव सर्वे होना चाहिए और मल्टी परपज हाइडल प्रोजैक्ट बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस प्रोजैक्ट से ट्राइबल लोगों को फायदा नहीं होता है, उस स्कीम को लिया जाता है, लेकिन जिस स्कीम से उनको फायदा होता है, वह टेकअप नहीं होती है। पगलादिया डैम प्रोजैक्ट के करने से कम से कम 27 ग्राम के लोगों को बसाना पड़ेगा, उससे बोडोलैंड के लोगों को फायदा नहीं होता है, इसलिए इस स्कीम को कैंसल करना चाहिए, जिस पर भारत सरकार 548 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। उस रुपए को दूसरी स्कीम में लगायें, जिससे वहां के लोगों को फायदा हो।

कृि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज संसद में देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण जो जानमाल की क्षति हुई है उस पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में 27 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमारे माननीय सहयोगी जल संसाधन मंत्री ने अभी इस चर्चा में हस्तक्षेप किया। चूंकि जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान बाढ़ के स्थाई समाधान की मांग की और जो स्वाभाविक भी है, जब भी बाढ़ पर चर्चा होगी, तो उसके विभिन्न पहलुओं पर माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे। मैं इसी सिलसिले में बताना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसके स्थाई समाधान की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में संक्षेप में माननीय जल संसाधन मंत्री ने हस्तक्षेप कर इस बहस में हिस्सा लिया।

लेकिन हमारे पूरे देश में बाढ़ के कारण जान माल की जो क्षति हुई, उस पर स्वाभाविक तौर पर सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने अपनी गहरी चिन्ता प्रकट की है। देश में विभिन्न जगहों पर जो भीाण बाढ़ आई है, उस पर अलग-अलग इलाकों में जो परिस्थिति है, उसकी भी चर्चा लोगों ने की है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर कतिपय माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी खासकर कांग्रेस के कतिपय सदस्यों ने इसकी चर्चा की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, जिन तमाम साथियों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, इस गंभीर विाय की चर्चा में हिस्सा लिया, वह आखिर तक इस चर्चा में रुकते तो जो भी सम्भव था, जो कदम उठाये गये हैं, उस बारे में मैं उत्तर देते हुए उनका समाधान कर पाता। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी।

जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, तो अरुणाचल प्रदेश में इस साल जून में भीाण बाढ़ आई। वहां कोई ज्यादा वाा नहीं हुई थी बल्कि सामान्य वाा हुई थी।

लेकिन वहां इतनी जबरदस्त बाढ़ आई वैसी बाढ़ लोगों की याद में कभी नहीं आई। वहां के मुख्यमंत्री यहां आये थे। वे प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे, मुझसे भी मिले थे। उनकी बात सुनने के बाद हमने यह फैसला किया कि वहां जाकर खुद स्थिति को देखें। उसी के अनुरूप केन्द्र के अधिकारियों की एक टोली लेकर मैं वहां पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हर समय हमारे साथ मौजूद थे। सियांग नदी में जो बाढ़ आई, वह नदी तिब्बत से निकलती है, उस नदी में रिजर्वायर हैं, डैम हैं। वह नदी आगे आकर हिन्दुस्तान में सियांग नदी कहलाती है। जबकि चीन में दूसरे नाम से जानी जाती है। एक खास जगह वह यू टन भी लेती है। हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में हिन्दुस्तान के हिस्से को देखा। वहां जबर्दस्त बाढ़ थी, बहुत ऊंची धारा थी। कई महत्वपूर्ण ब्रिजेज को उसने अपने साथ बहा लिया। वहा हर किसी को यह मालूम था कि अरुणाचल प्रदेश में घटी किसी घटना से यह बाढ़ नहीं आई। अरुणाचल प्रदेश में उस इलाके में रहने वाले लोगों को यह भी मालूम है कि प्रकृति की किसी घटना से यह बाढ़ नहीं आई। जरूर कोई न कोई घटना तिब्बत में, चीन की सरहद में घटित हुई है जिसके चलते इसका बुरा प्रभाव यहां पड़ा। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी उस बात के लिए अनुरोध किया। जब हम लौटकर आए। तब हमने भी अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को चीन के साथ टेकअप किया है।

जहां तक हमारी जानकारी है, हमारे विदेश मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ चर्चा की है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि कोई भी घटना जो भी घटी है, वह चीन में घटी है चाहे उसके स्ट्रक्चर में कोई बात हुई है या लैण्डस्लाइड हुआ है, प्राकृतिक कोई बात हुई हुई है जिसके चलते पानी रुका और बाद में उसके हटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि उसने वहां सब कुछ ध्वस्त कर डाला। वहां बहुत ज्यादा हानि हुई है। वहां की विशे परिस्थिति का ध्यान करके हम वहां गये थे और लौटकर आने के बाद हमने प्रधान मंत्री जी को पूरी स्थिति की जानकारी दी। उन दिनों प्रधान मंत्री जी देश के बाहर गये थे। जब वह लौटकर आये तब मैंने उनको पूरी जानकारी दी। टीम की जो रिपोर्ट थी उससे हमने उन्हें अवगत करा दिया। इस मामले में केन्द्र सरकार कदम भी उठा रही है। हमने जो कुछ कहा, राज्य सरकार ने कहा कि इतना नुक्सान हुआ, उन सब चीजों को लगाकर और हमने और हमारी टीम ने अनुशंसा की है कि उनको मदद मिलनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि यह मदद उनके प्लान के बाहर की मदद होगी इसलिए उसमें समय लगता है। अब हम लोगों के सामने एक कठिनाई आई है क दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर कैलेमिटी रिलीफ फंड के अलावा एक फंड और बना था जिसका नाम नैशनल फंड फार कैलमिटी रिलीफ है।

उसकी चर्चा कई सदस्यों ने की है खास कर माननीय रघुवंश बाबू ने भी उसकी चर्चा की है। लेकिन दशम वित्त आयोग की अनुशंसा पर उसका गठन हुआ था और 31 मार्च, 2000 को नैशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ समाप्त हो गया। जैसा आप कह रहे थे, 100 करोड़ रुपये नहीं वह 700 करोड़ रुपये का फंड था। लेकिन लगभग 2800 करोड़ रुपये उससे दिए गए। हमें उस पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह चीज समाप्त हो चुकी है। ...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अरूणाचल प्रदेश को कितना दिया गया।

श्री नीतीश कुमार : हम उसी पर आ रहे हैं। लेकिन अरूणाचल प्रदेश की घटना जून में घटी है और वह फंड 31 मार्च को समाप्त हो चुका था। मुख्य मंत्री के आग्रह पर तत्काल जितना हो सकता था, दूसरा हिस्सा, जो क्वार्टर्ली रिलीज होता है, वह भी हमने कर दिया। अरूणाचल के एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि सिर्फ 2.208 क्वार्टर का रिलीज हुआ। हम उनको जानकारी देना चाहेंगे कि दूसरे क्वार्टर का रिलीज करने की अनुशंसा हमने तत्काल की थी और जहां तक जानकारी है, वह रिलीज भी हो चुका होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्लान फंड रिलीज है या रिलीफ के लिए अलग है।

श्री नीतीश कुमार : आप गौर से सुनेंगे तो हम समझते हैं कि हमने बहुत स्पटता के साथ बताया। वहां से आने के बाद जो स्थिति हमने देखी, यह कहा कि उनको अतिरिक्त मदद की जरूरत है। वह सामान्य तौर पर रिलीफ का मामला नहीं है क्योंकि रिलीफ का मैनडेट दूसरा है, रिलीफ में जो तत्काल राहत कार्य चलाने की जरूरत होती है, वह कैलेमिटी रिलीफ फंड या नैशनल फंड ऑफ कैलेमिटी रिलीफ से चलाए जाते हैं क्योंकि कैलेमिटी रिलीफ फंड की जो मात्रा है, उससे वहां के राहत का कार्य नहीं चलाया जा सकता तो नैशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ से वह मदद पहुंचाई जा सकती है, अगर ऐयर सिवेयरिटी का होता। यह दशम वित्त आयोग के हिसाब से पहले की व्यवस्था थी। आज वह नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उन्होंने उसे गंभीरता से लिया और केन्द्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसलिए उसमें जो समय लगता है, वहां जो अतिरिक्त नुक्सान हुआ, जो उनके इन्फ्रास्ट्रचर का नुक्सान हुआ और हमने यह भी कहा कि बार्डर रोड और्गनाईजेशन के माध्यम से, ये ब्रिजेस ऐसे हैं कि उनका काम तेजी से कराया जाना चाहिए।

जो यह कहा कि विजिट किया और कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह असत्य है। वहां उसके बाद बड़ी तेजी से कार्यवाही शुरू हुई। आज जैसा कहा जाता है कि आप जाइए, वहां विजिट करिए। हम विजिट करके क्या करें। ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम है कि कोई नैचुरल कैलेमिटी आती है तो उस स्थिति में जो रिलीफ औपरेशन्स होते हैं, उन्हें कौआर्डीनेट करना, सी.आर.एफ. को औपरेट करना आदि बातें हैं। हम कहीं देखने के लिए जाते हैं, इच्छा बहुत होती है। पहले एक नैशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ था। अगर लौट कर आएं तो वहां के मैमोरंडम के आधार पर यहां से टीम भेज कर उसके लिए नैशनल कमेटी में विचार भी करते। कृषि मंत्री उस नैशनल कमेटी के सभापति होते थे। लेकिन आज की तारीख में मांग होती है कि आप जाइए। हम जाना चाहते हैं लेकिन अगर जाएंगे तो जैसा अरूणाचल के सदस्यों ने सवाल उठाया, कहा कि उसके बाद क्या हुआ जबकि हो रहा है, तब भी उनको संतोष नहीं है। हम उसकी जानकारी देना चाहते हैं। दूसरी जगहों पर जहां वैसी स्थिति नहीं है, हम जाएं और उसके बाद लोग स्वाभाविक तौर पर पूछेंगे कि आप क्या देने वाले हैं। कहीं भी कोई विजिट करने जाएंगे, चाहे सड़क मार्ग से जाएं, हवा मार्ग से जाएं या जल मार्ग से जाएं, नाव में बैठ कर जाएं, यह तो वहां जाने के बाद निर्भर करता है कि वहां की सरकार क्या साधन मुहैया कराती है। अगर हम बिहार जाना भी चाहें, फ्लड अफैक्टेड एरिया देखना चाहें तो रघुवंश बाबू की पार्टी का राज है, वे कहेंगे फ्लड देखनी है तो नाव से जाकर देखिए। वह किसी सहारे देख सकते हैं। जहां तक सड़क जाए वहां सड़क से देखें, जहां पर नाव से जाएं या हवा मार्ग से भी देख सकते हैं। वह एक अलग विषय है, इस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन उसके बाद लोग तत्काल पूछेंगे कि आप क्या दे रहे हैं। हम बताएंगे कि कैलेमिटी रिलीफ फंड के एक क्वार्टर का और रिलीज कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि कैलेमिटी रिलीफ फंड के अलावा क्या दे रहे हैं। मैं क्या जवाब दूंगा। एक परेशानी की बात है। यही बात हिमाचल प्रदेश के साथ हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुझे कहा।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : जैसे आरूणाचल के बार्डर रोड फंड से सड़क बनाने का मौका दिया, उसी तरह दे सकते हैं। वैसे ही अरूणाचल में जो कुछ दिया है, सैंट्रल फंड से इधर भी दे सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : लगता है कि हम आपको समझा नहीं पाए। हमने कहा कि वहां से लौट कर आने के बाद हमने तमाम लोगों के साथ टेक अप किया और यह भी कहा कि इसे जल्दी किया जाना चाहिए।

लेकिन उसके लिए प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है, यह हमने कहा। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा, यहां हिमाचल प्र ादेश के जितने साथी हैं, उन सब ने बताया कि आप वहां जायें। वहां भी एक टीम भेजी गई है, हमने कहा कि एक टीम जाये और वह असेसमेंट करके आये। इस बीच में 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया और संसद में इसको रख दिया गया। इनकी अनुशंसा जो केलेमिटी रिलीफ फंड केबारे में है, उनकी अनुशंसा के हिसाब से आपने वित्त आयोग की रिपोर्ट को देख लिया होगा, लेकिन उसकी जो मुख्य बातें हैं, उनका हम उल्लेख करना चाहते हैं। केलेमिटी रिलीफ फंड उन्होंने रखा है, केलेमिटी रिलीफ फंड की राशि बढ़ा दी गई है। उसमें हिस्सा वही है, तीन चौथाई भारत सरकार देगी और एक चौथाई राज्य सरकार देगी। वह सिलसिला जारी है, आगे भी जारी रहेगा, इन्होंने यह सुझाव दिया है। लेकिन केलेमिटी रिलीफ फंड को इन्होंने बन्द कर दिया। उसकी जगह पर इन्होंने कहा है कि :

"A National Centre for Calamity Management be established under the Ministry of Agriculture to monitor all types of natural calamities without any reference from Central or State Government. The Centre to be empowered to recommend requirement of financial assistance to the affected States over and above CRF. "

यह इनकी अनुशंसा है। इसके आधार पर अब एक सेंटर बना देना होगा और उसके आधार पर उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। इस दृष्टि से हम इसके हिसाब से जो भी सम्भव होगा, वह करेंगे। उन्होंने राय दीहै कि इसमें सैस लगाइये, जो सैण्ट्रल टैक्सेज हैं, अगर नेशनल केलेमिटी कहीं आ जाये तो सैण्ट्रल टेक्सेज पर सैस लगाया जाये। केन्द्र भी 500 करोड़ रुपया इसके लिए कंट्रीब्यूट करे। इसके लिए एक कानून भी संसद में लाना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। उसका जो कानूनी रूप है, उसको दिये जाने केबाद 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो नेशनल केलेमिटी होगी, उसके लिए नये सिरे से कदम उठाये जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास जो केलेमिटी रिलीफ फंड वही है। जहां से भी मांग आती है, हम एक क्वार्टर के लिए उनकी इन्स्टालमेंट रिलीज कर देते हैं, लेकिन पूरे तौर पर इसको प्रभावी ढंग से 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कदम उठाने में थोड़ा समय स्वाभाविक तौर पर लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ेगा। इसमें काफी कुछ सुविधा भी हो जायेगी। इसी प्रकार से जितने भी राज्य हैं, चाहे बिहार का सवाल हो या असम का सवाल हो, उत्तर प्रदेश का सवाल हो या पश्चिम बंगाल का सवाल हो, महाराट्र का सवाल हो या अन्य किसी राज्य का सवाल हो, जिसके बारे में यहां चर्चा छेड़ी गई है, स्थाई समाधान की दिशा में हमारे साथी, सहयोगी, मित्र ने कहा कि ये कर रहे हैं और यह अच्छा होगा कि सभी लोगों की राय से सब कुछ हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि जहां तक बाढ़ का सवाल है, बाढ़ के प्रभाव को कम करने की दिशा में ही कदम उठाये जा सकते हैं। अगर कोई यह कहे कि बाढ़ को हम पूरी तौर पर रोक देंगे तो मेरी समझ में यह अप्राकृतिक बात होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके प्रभाव को कैसे कम करें, कौन से उपाय करें, इसको लेकर जो इसके विशेज्ञ हैं, उनमें भी मतभेद हैं। एन्वायर्नमेंटलिस्ट लोग कहते हैं, जैसा अभी राम जीवन बाबू ने कहा कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, बहने दो। सरकार में भी जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने यह कहा है कि एम्बेंकमेंट दूर बनाये जायें। फिर जो आपने फ्लडप्रूफिंग के बारे में कहा, उसकी बात हो रही है। लोग फ्लड प्लेन जोनिंग की बात कर रहे हैं कि इस तरह से एक बना देंगे, पूरा सर्वेक्षण करके इनकी टीम बना देगी, सेठी जी के मंत्रालय के लोग बना देंगे और राज्य सरकारों को वह चीज देंगे कि कहां पर आबादी बसनी चाहिए, कहां पर आबादी नहीं बसनी चाहिए। हर चीज के बारे में जब फ्लड प्लेन जोनिंग हो जायेगी तो एक सुविधा होगी। कहां पर लोगों को बसने दीजिए, कहां पर लोगों को मत बसने दीजिए। इस प्रकार से कोई काम हो सकता है। एक तो फ्लड के लिए स्ट्रक्चरल मैज्र्स होते हैं और दूसरे नॉन स्ट्रक्चरल मैज्र्स होते हैं। स्ट्रक्चरल मैज्र्स में स्वाभाविक है कि एम्बेंकमेंट की बात आती है, ड्रेनेज चैनल की बात आती है, सारी बातें आयेंगी। नॉन स्ट्रक्चरल मैज्र्स में इस तरह के कदम उठाये जायें, लेकिन जहां तक बाढ़ का सवाल आ जायेगा, जो मानवता पर यह संकट उत्पन्न होता है तो हर हालत में इतना हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी सेवा के लिए जो भी सम्भव होगा, हम लोग कदम उठाएंगे। केलेमिटी रिलीफ फंड के अलावा भी जो 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा है, उस पर तेजी से हम लोग कदम उठाएंगे और जैसी कतिपय राज्यों से यह बात आई है, खासकर बिहार से यह चर्चा आई है कि वहां पर टीम जानी चाहिए या असम की तरफ से भी यह सुझाव आया है कि वहां पर लोगों को जाना चाहिए। हम इसके बारे में प्रयास करेंगे कि वहां के डैमेज को असैस करने के लिए वहां की स्थिति को देखने के लिए टीम जाये।â€¦(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप हमारे यहां आयें और हमारे दुख को देखें।

श्री नीश कुमार : जिन राज्यों का नाम छूट गया हैâ€¦(व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : You have to send a Central team to the Bodoland area also as it is very much neglected.

श्री नीतीश कुमार : चाहे बिहार का सवाल हो, असम का सवाल हो, हिमाचल प्रदेश में टीम भेज दी गई है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : जब असम जाते हैं, गुवाहाटी से वापस आते हैं।

But the internal places are not being visited.

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट निवेदन करना है।

Sir, I would like to seek a clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please let him complete.

SHRI MAHESHWAR SINGH : Sir, he is yielding. जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में घटना घटित हुई है, वही स्थिति हिमाचल प्रदेश की हुई है। वहां 31 जुलाई को ज्यादा बरसात नहीं थी। जो बाढ़ आई है, वह तिब्बत से आई है। भविय में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए क्या चीन सरकार से इस बात का पता लगाएंगे कि कौन सी घटना उस एरिया में घटित हुई, जिससे इतना नुकसान हुआ। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी अनुरोध किया कि आप वहां का दौरा करें, लेकिन आपने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं है। आपने 11वें वित्त आयोग की बात कही है। 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही

करने में समय लगेगा। किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है, वह देश के बाकी भाग से कटा हुआ है। क्या आप वहां का प्रवास कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि आपकी अनुशंसा के अनुसार चाहे प्रधान मंत्री राहत कोा से, चाहे कहीं से भी स्पेशल ग्रांट हो, वह दी जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्भव नहीं है कि वह एकदम से 15-16 पुलों का निर्माण करे।

श्री नीतीश कुमार : हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति के बारे में जो जानकारी मिली है, अब तक की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भारत की सीमा के अंदर घटी प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा के कारण वह परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। यह अनप्रिज़ीडेंटेड फ्लड है, जिससे इतना नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में जो अनप्रिज़ीडेंटेड फ्लड आया है, उससे जो नुकसान हुआ है, जो स्थाई परिसम्पत्तियों का नुकसान हुआ है, उसके लिए विशेा कदम उठाने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। केन्द्र की तरफ से मुख्य मंत्री जी के अनुरोध के हिसाब से भी प्लान का असिसटेंस कुछ किया गया है। बाद टीम की रोप्रट आएगी, उसके आधार पर हम लोग इस मामले को टेकअप करेंगे। अन्य जगहों के मामले में भी जो भी कार्यवाही हो सकती है, सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न किया जाएगा, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। एक सवाल प्रधान जी ने उठाया था कि पिछली बार पश्चिम बंगाल की तरफ से इतना रुपया मांगा गया और केन्द्र की तरफ से शायद 29 करोड़ रुपे दिए गए। जो नेशनल फंड फार केलेमिटी रिलीफ था, उसकी एक प्रक्रिया है। उसके हिसाब से वहां की राज्य सरकार को मेमोरंडम भेजना था। उसमें अगर प्राइमाफेसी पता चल जाए कि केलेमिटी रेअर सिवेयरिटी का है तो यहां से टीम विजिट करती थी, जो इंटर मिनिस्ट्रियल

टीम थी। वह रिपोर्ट देती थी, उसके आधार पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में विचार होता था। जो वह ग्रुप रिकमंड करता था वह नेशनल कमेटी जो रिलीफ से सम्बन्धित थी, उसमें उस पर विचार होता था और उसके आधार पर उनको पैसा मिलता था।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए की मांग की थी और मिले केवल 29 करोड़ रुपए हैं।

श्री नीतीश कुमार : यह बात नहीं है। आप मुझे कहेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या मांगा। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की सिफारिश होती है। वह कमेटी के लिए होती है और कमेटी में उसके आधार पर चर्चा होती है। मुझे आफहैंड जानकारी नहीं है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने कितने की सिफारिश की थी और कितना दिया गया। लेकिन इस चर्चा से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह फंड समाप्त हो चुका है। चूंकि आपने चर्चा की या रघुवंश बाबू ने कहा, उसके आधार पर चर्चा न करके आगे की सुधि लेनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पैसा कितना दिया बंगाल को ?

श्री नीतीश कुमार : मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं राय जी को बताना चाहता हूं कि उनके जिले में उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर में जो फ्लड होता है, उसकी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार को नहीं दी। दो बार हल्ला भी किया। जो रिपोर्ट हमें मिली भारत सरकार मे, मैंने मुख्य मंत्री ज्योति बसु जी को खत लिखा कि वहां बाढ़ में आदमी डूबे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी तो कैसे काम चलेगा।

जहां तक रिलीफ फंड का सवाल है, यह स्टेट को करना है। हम लोग उनकी मदद करते हैं लेकिन करना उन्हीं को है। कई जगह से बात आई है कि आप मोनीटरिंग कीजिए। केन्द्र सरकार हर किसी चीज की मोनीटरिंग कैसे कर सकती है? राज्य सरकार भी चुनी हुई सरकार होती है, वह भी संविधान के हिसाब से काम कर रही है। वित्त आयोग की अनुशंसा के हिसाब से केन्द्र का जो रोल है, वह रोल केन्द्र अपना अदा करता है। यह राज्यों का विय है और राज्यों से उम्मीद की जाती है कि रिलीफ ठीक ढंग से बांटे। अगर हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम उन्हीं के पास भेजेंगे कि आप इसमें जांच करिए और उचित कार्रवाई करिये क्योंकि यह सिलसिला केन्द्र और राज्य के परस्पर सहयोग और परस्पर विश्वास की नींव पर ही देश चल सकता है। जो कुछ भी बात कही गई है, हो सकता है किसी-किसी जगह पर रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन केन्द्र की सरकार के सामने रिपोर्ट तो राज्य की सरकारें ही भेजती हैं। सदन में भी जब किसी बात पर चर्चा होती है तो इस पर भी ध्यान दिया जाता है।

अब एक समस्या बिहार के लिए जरूर उत्पन्न हुई है। बिहार के लिए जो कैलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा है, वह पैसा रिलीज नहीं हुआ है। महाराट्र के लिए भी रिलीज नहीं हुआ है। इसके बारे में एक दिक्कत है और वह दिक्कत यह है कि उनको एक सैपरेट एकाउंट खोलना है। सैपरेट एकाउंट में ही वह पैसा जाएगा। सी.ए.जी. ने इसमें कुछ एतराज किया है। उसके चलते उनको कहा गया है कि आप सैपरेट एकाउंट खोलें। इतनी बड़ी त्रासदी आई हुई है और हर साल आती है। रघुवंश बाबू ने ठीक ही कहा है कि यह तो पहला धक्का है। इसके बाद दो-तीन धक्के वहां आते हैं। हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। जो कुछ इस तरह के इलाके हैं और वैसी स्थिति में अन्वरत उन प्रभावित जगहों पर रिलीफ का काम करना है और रिलीफ का काम उनको इसी पैसे से करना है। ऐसी स्थिति में समस्या उनके सामने है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सरकार की तरफ से कहा गया है और रघुवंश बाबू बैठे हुए हैं, इन्से भी हम आग्रह करेंगे कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिए, राज्य सरकार पर दबाव डालिए ताकि जहां सुस्ती हो रही होगी, उस पर तेजी से कार्रवाई करके, उसका सैपरेट एकाउंट, कैलिमिटी रिलीफ फंड खोल दें। वित्त मंत्रालय को यह पैसा रिलीज करना होता है। वह जब रिलीज करेंगे तभी आप वहां एकाउंट खोलिएगा क्योंकि यह कदम सी.ए.जी. के द्वारा उठाये गये सीरियस ऑब्जेक्शंस के आधार पर किया गया है। यही बात महारट्र के लिए है। महाराट्र के लिए भी यही कदम उनको उठाना होगा। उनको अलग एकाउंट खोलना पड़ेगा ताकि यहां से जो केन्द्र का हिस्सा है, वह रिलीज होकर उनके पास पहुंचे ताकि रिलीफ का काम करने में मदद हो सके। â€¦(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : महाराट्र का कितना हिस्सा है ?

श्री नीतीश कुमार : मैं बता देता हूं, उसकी फीगर्स मेरे पास उपलब्ध है। महाराट्र का रिलीज नहीं हो सका है जिसकी हमने चर्चा की है लेकिन â€¦(व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :What about Assam?

श्री नीतीश कुमार : इनको जानकारी चाहिए, हम इन्हें जानकारी दे देते हैं। यह साधारण जानकारी है और यह यहां उपलब्ध है तो उनको मिलनी चाहिए। महाराट्र का कैलेमिटी रिलीफ फंड 2000-2001 के लिए 157करोड़ 20 लाख रुप्ये का है। इसमे केन्द्र का हिस्सा 117 करोड़ 90 लाख रुप्ये का है। राज्य का हिस्सा 29 करोड़ 30 लाख रुप्ये का है। इस प्रकार से समय लगेगा। हर राज्य का बताया जा सकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: When the name of Shri Bwiswmuthiary was called, he was not present in the House. Mr. Minister, he would like to ask a few questions.

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए हैं। किसी राज्य विशे में एक इलाके में क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में राज्यों से जानकारी प्राप्त करके, उनको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि वे अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकें। जैसा प्रियरंजन दासमुंशी जी ने संसद में कहा, अगर उनके पास कोई जानकारी है, हमारे मंत्रालय को उपलब्ध करायेंगे, तो हम जरूर उसके संबंध में राज्य सरकार के साथ उस सवाल को रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उन्होंने इसके बारे में कौन से कदम उठाए हैं। हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, पंचायती राज का पैसा नदियों के खनन के लिए रुरल डवेलपमेंट स्कीम में लगाया जाएगा, तो एक नेचुरल एसैट बिल्ट होगा। क्या आप इस बारे में विचार करेंगे?

श्री नीतीश कुमार : यह एक ऐसा सुझाव है, जो कई मंत्रालयों से संबंधित है। इसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन यह इनका अपना विचार है। जल संसाधन मंत्रालय, राज्य सरकारों की भी राय कि जल स्तर को उठाना है, सिल्टेशन और डिसिलटेशन के लिए कदम उठाया जाए और उस इलाके में जेआरवाई या सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत, इसके लिए कोई गाइडलाइन्स हैं, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, दो फन्ड्स हैं - एक , सीआरएफ, जिसमें दसवें आयोग के मुताबिक तीन भाग राज्य सरकार और एक भाग राज्य सरकार का है। एक रूटीन बना हुआ है और उसमें कमोबेश की गुंजाइश नही है और दूसरा है एनआरएफ, जिसमें सौ करोड़ का बजट है, जिसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री अध्यक्ष होते हैं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं और रिपोर्ट राज्य सरकार से इम्पलीमेंटेशन के लिए आती है। इसके लिए कहा था कि सौ करोड़ के स्थान पर 1000 करोड़ रुपए बढ़ायें, जिससे विभिन्न राज्यों को पैसा दें, तो उस पर कृषि मंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठकर फैसला करें। इससे आपका पर्याप्त अधिकार रहता है। उसमें आप जब चाहें, तब मदद कर सकते हैं। इन दोनों फन्ड्स को आपने एक ही में मिला दिया है ?

श्री नीतीश कुमार : हमने आपको बताया है, एक सीआरएफ है और दूसरी आप जो कह रहे हैं, उसमें सौ करोड़ नहीं 700 करोड़ है, जिसमें 2800 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इस फन्ड की अवधि 31.3.200 को समाप्त हो गई। अब ऐसा कोई फन्ड नहीं है। हमने आपको बताया 11वें वित्त आयोग ने सलाह दी कि इसको डिसकन्टीन्यू करें। लेकिन सीआरएफ कन्टीन्यू रहेगा। इसकी राशि बढ़ा दी गई है। एनएफसीआर, जिसको आप एनआरएफ कह रहे हैं, वह समाप्त हो चुका है। इसकी अवधि 31.3.200 को समाप्त हो गई।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पिछले साल यह फंड सौ करोड़ रुपए का था, उसी को हम कह रहे हैं कि और बढ़ाइए।â€¦(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उसे एक बार बढ़ाया था।â€¦(व्यवधान) आपको यह मालूम था कि कृषि मंत्री जी उसके अध्यक्ष होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर मेम्बर होते थे और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन तथा दो और केन्द्र के मंत्री मैम्बर होते थे। पांच मुख्य मंत्री भी बाइ रोटेशन उसमें होते थे। यह व्यवस्था पहले थी वह 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो गई।â€¦(व्यवधान) अब जो 11वें वित्त आयोग के हिसाब से एक नया इंतजाम नेशनल केलेमिटी के लिए रखा है, उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।â€¦(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : 11वें वित्त आयोग ने तो उसे खत्म कर दिया।â€¦(व्यवधान) यह आपदा देश में बढ़ रही है।â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप समझने की कोशिश करिए।

श्री नीतीश कुमार : 11वें वित्त आयोग ने जो नया सुझाव दिया है कि नेशनल केलेमिटी को कैसे टैकल करें, उसके लिए उसने कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन उनका सुझाव नेशनल फंड फॉर केलेमिटी रिलीफ का नहीं है, दूसरा है। उसके लिए संसद में एक कानून भी लाना पड़ेगा और उसके आधार पर फिर उसका ऑपरेशन शुरू होगा। जिसकी मैंने चर्चा की है।â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में तो इन्होंने काफी विस्तार से बताया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके लिए कदम उठा रही है।â€¦(व्यवधान)

श्री खार्बेल स्वाइं (बालासोर) : बिहार से बह कर सुवर्ण रेखा नदी उड़ीसा में मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आती है। मैं तो जानता हूं, माननीय सेठी जी बोल चुके हैं और नीतीश जी भी बोल चुके हैं कि बाढ़ को एकदम बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे घटाया जा सकता है। महोदय, बिहार में गालुडी और चंडेल, दोनों जगहों में दो प्रोजैक्ट बना रहे हैं, जो 20-30 साल से बना रहे हैं और उनका 95 प्रतिशत काम खत्म हो गया है, लेकिन जो पांच प्रतिशत बाकी रह गया है, उसे खत्म नहीं कर रहे हैं। सेठी जी खुद गए थे और वह आकर बोल रहे थे कि मैंने जब बिहार के अधिकारियों से बात की तो मुझे नहीं लगा कि वे इसे खत्म करेंगे। हम बाढ़ से हर साल मर रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक नेशनल रीवर पालिसी क्यों न सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए ताकि हर नदी के फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सेंटर एक प्रोजैक्ट बनाए और स्टेट को जो कुछ करना है वह उसी प्रोजैक्ट से लेकर उसे बनाए, अन्यथा यह होगा कि एक एम.एल.ए. अगर पावरफुल बन गया तो वह बोलेगा कि यहां पत्थर का पैचिंग बना दो तो वहां पत्थर का पैचिंग बन गया। वे लोग बोलते हैं कि एक स्पर बना दो तो स्पर बना देते हैं।â€¦(व्यवधान) इससे यह होता है कि जो दूसरा साइड होता है, वह जहां फ्लड नहीं होता है वहां जाता है।â€¦(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : माननीय सदस्य का सुझाव स्थाई समाधान की दिशा में है, जिसके बारे में प्रारम्भ में ही माननीय सेठी जी ने कहा है कि इस संबंध में अलग से चर्चा हो जाए, अभी जो बहस का विषय है, उसे अलग कर लीजिए।

अंत में कंक्लुड करने से पहले हम आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि पूरी स्थिति को देखते हुए कतिपय राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रादेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में केलेमिटी फंड का सैकिंड इंस्टालमेंट रिलीज किया जा चुका है। गुजरात में थर्ड इंस्टालमेंट वहां की रिक्वेस्ट पर रिलीज किया जा चुका है और राजस्थान में जो सूखे वाली स्थिति थी, वहां भी सरकार की रिक्वेस्ट पर थर्ड इंस्टालमेंट रिलीज़ किया जा चुका है।â€¦(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : पश्चिम बंगाल में सैकिंड इंस्टालमेंट में कितनी राशि दी?

श्री नीतीश कुमार : पश्चिम बंगाल का फर्स्ट इंस्टालमेंट 16 करोड़ 6 लाख 56 हजार रुपए है और दूसरा इंस्टालमेंट भी 16 करोड़ 6 लाख 56 हजार रुपए का है। इसके अलावा जो भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, उन पर हम गौर करेंगे और जिनका उत्तर हम नहीं दे सके हैं, उनके बारे में जहां आवश्यकता होगी वहां हम लिखित उत्तर उन तक पहुंचा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

55. hrs.